This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
https://rajpatra.hp.gov.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 29 मई, 2026 / 08 ज्येष्ठ, 1948

हिमाचल प्रदेश सरकार

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल, शिमला.171 002 Armsdale, Shimla-171 002 , Tel. 0177-2620152,2620159, 2620154, Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

NOTIFICATION

Dated 27th May, 2026

No.SEC(F)1-45/2024-I-8676.—Whereas the District Election Officer (P)-*cum*-Deputy Commissioner Chamba *vide* letter No. 3201, dated 26-05-2026 has intimated this Commission that

in Ward No.2 of Gram Panchayat Sanwal, Development Block Tissa certain voters were allowed to cast their votes through companion without completion of mandatory procedures. It has been further intimated that the procedural lapses committed are of serious nature, which have the potential to affect the fairness, transparency and sanctity of election process. It has been recommended by the Deputy Commissioner to cancel the election held in abovementioned ward and conduct a fresh election in the interest of fair and independent elections;

And whereas Rule 61 of the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 provides that if the Presiding Officer is satisfied that owing to blindness or other physical infirmity an elector is unable to recognise the symbol on the ballot paper or to make a mark thereon without assistance, the Presiding Officer shall permit the elector to take with him a companion of not less than eighteen years of age to the voting compartment for recording the vote. No person shall be permitted to act as the companion of more than one elector at any polling station on the same day. The companion of an elector shall be required to declare, in writing that he will keep secret the vote recorded by him on behalf of the elector and that he has not already acted as the companion of any other elector at any polling station on the same day;

And whereas the Presiding Officer has not followed the procedures prescribed under Rule 61 of the Rules *ibid* resulting into infringement of secrecy of voting;

And whereas the matter was placed before the Commission and the Commission is of the considered view that in view of the procedural lapses committed by the Presiding Officer, the polling process in Ward No.2 Guwari of Gram Panchayat Sanwal, Development Block Tissa, has been vitiated;

Therefore, the State Election Commission Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India, Section 160 of the HP Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule 32(5) of the HP Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and all plenary powers enabling it in this behalf, hereby invalidates the polling process undertaken in Ward No. 2 Guwari of Gram Panchayat Sanwal, Development Block Tissa for all the five posts for which polling was undertaken on 26-05-2026. Further the Commission hereby directs as under:—

1. The already polled ballot boxes of ward No. 2 Guwari shall be sealed and kept under the custody of Block Development Officer Tissa. They shall not be opened till further orders of the Commission.

2. The polled ballot boxes of all other wards of the Gram Panchayat Sanwal with regard to office bearers of Gram Panchayat shall be kept in a strong room at Development Block Headquarters under armed guards till the counting of ballot papers.

3. The earlier polling party shall be immediately removed from election duty and a new polling party shall be deputed to undertake the poll in the said ward No.2.

4. The new ballot papers shall be issued in respect of all the five posts for the re-poll.

5. A new marked copy of the electoral rolls shall be issued to the polling party.

6. The poll in Ward No.2, Gram Panchayat Sanwal, Development Block Tissa for all the five posts shall be held on **30-05-2026** between **7.00 A.M. to 3.00 P.M.**

7. The votes polled through postal ballot paper shall also be kept in the safe custody of Returning Officer and shall be handed over to the Assistant Returning Officer concerned on 31-05-2026 before start of counting.

8. The counting of votes of Gram Panchayat Sanwal shall be undertaken on **31-05-2026** at Development Block Headquarters from 9.00 A.M. onwards.

9. The indelible ink shall be applied on the right hand index finger of the electors.

10. Wide publicity with regard to fresh poll in respect of abovementioned ward for all the five posts on 30-05-2026 and counting of votes of Gram Panchayat at Development Block Headquarters on **31-05-2026** from **9.00** A.M. onwards shall be made through loud speaker/any other means as you may deem fit for the information of all the voters.

11. Adequate security arrangements must be ensured in the interest of free, fair and independent elections.

By order,
ANIL KUMAR KHACHI,
State Election Commissioner.

राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश
STATE ELECTION COMMISSION, HIMACHAL PRADESH
आर्मसडेल, शिमला.171 002, Armsdale, Shimla-171 002, Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152
Email:secysec-hp@nic.in

CORRIGENDUM

Dated the 28th May, 2026

No. SEC(F)1/49/2025-9012-17.—In continuation to this Commission Notification No. SEC-(F)1/49/2025-8333-8467, dated 23rd May, 2026. The name of the elected representative at Page No. 20 in Ward No. 11 (Purana Bazar) of the Municipal Council, Sundernagar shall be read as "**Vijay Kumar**" instead of "**Vijay Chauhan**".

Sd/-
SURJEET SINGH RATHORE,
Secretary,
State Election Commission.

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd May, 2026

No. Home (A)B(2)-1/2020(Vol-I)Loose.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to order the promotion of **Smt. Rajeshwari** Superintendent Grade-II to the post of Superintendent Grade-I (Class-I- Gazetted), in the pay scale as per Rule 3(j) of the HPCS (Revised Pay) Rule, 2022 (Level-16 in the pay matrix) in Police Department, Himachal Pradesh, on regular basis, with immediate effect, in public interest.

The above officer will be on probation for a period of two years or till retirement whichever is earlier. The Officer shall also exercise option for fixation of pay under the provision of

FR-22 within a period of one month from the date of issuing of this notification. The posting order of above Superintendent Grade-I will be issued separately.

This issues with the prior approval of the State Election Commission, Himachal Pradesh obtained *vide* their letter No.SEC(F)1-48/2025-7912, dated 20-05-2026.

By order,
Sd/-
(KAMLESH KUMAR PANT, IAS),
Addl. Chief Secretary (Home).

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

FORM -6

(*See* rule – 9)

Notice Of Adoption Of Existing Land Use Map

Shimla, the 23rd May, 2026

No.HIM/TP/PJT/Joginder Nagar-PA/1998/Vol-I/1358-1382.—Whereas, objections and suggestions were invited *vide* Notice No. HIM/TP/PJT/**Joginder Nagar**-PA/1998/Vol-I/5223-50, Dated 07-11-2023 published in Rajpatra on 09-11-2023 with respect to the Existing Land Use Map of **Joginder Nagar Planning Area**, under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and whereas, objection and suggestion were received and the modification have been made in the said Existing Land Use Map, wherever, required.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of Section 15 of the Act *ibid*, Notice is given that the Existing Land Use Map for **Joginder Nagar Planning Area** is hereby adopted with modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:—

1. The Director,
   Town and Country Planning Department,
   Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar,
   Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh.

2. The Town and Country Planner,
   Divisional Town Planning Office,
   Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh.

3. Executive Officer,
   Nagar Parishad, Joginder Nagar,
   District Mandi, Himachal Pradesh.

The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.

Place: Shimla
Date: 23-05-2026

Sd/-
(HEMIS NEGI),
Director,
Town and Country Planning Deptt.

INDUSTRIES DEPARTMENT

Section-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th May, 2026

No.IND-A(F)4-1/2019.—In order to facilitate access to quality testing infrastructure for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), to promote Ease of Doing Business within the State and after identifying and mapping all available testing facilities within the geographical boundaries of Himachal Pradesh, covering both public and private sectors, the Governor, Himachal Pradesh, is therefore, pleased to notify the Unified Directory of Testing Facilities for use by MSMEs in the State as per Annexure-A of this Notification. The said directory also includes testing facilities geographically located within the State but administered or owned by Central Government agencies, State Government agencies, Private agencies as well as NABL-accredited laboratories. The Directory further covers laboratories and facilities associated with MSME Testing Centres (MSME-TCs), Bureau of Indian Standards (BIS), Himachal Pradesh State Pollution Control Board, Food & Drug Administration/Authorities, and other relevant regulatory or certification bodies. The State-level directory has been developed in a standardized format to enable seamless integration, wherever feasible, with the Central Government's directory of testing facilities for MSMEs.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to designate the Department of Industries, Himachal Pradesh, as the nodal authority responsible for:

(i) Compilation and maintenance of the directory

(ii) Periodic updation and verification of facility details

(iii) Dissemination of the directory for public access.

The Directory shall be updated on a regular basis to ensure accuracy and inclusion of newly established facilities, and all concerned departments, institutions, and stakeholders are hereby directed to extend full cooperation by providing necessary information as and when required. The unified directory is made accessible through appropriate digital platforms, including the Himachal Pradesh Single Window Portal (SSWP) and official Government websites, to ensure ease of access for MSMEs across the State.

This notification shall come into force with immediate effect.

By order,
Sd/-
(R. D. NAZEEM, I.A.S),
Additional Chief Secretary (Industries) .

नगर निगम बद्दी

अधिसूचना

दिनांक, 23 मई, 2026

क्रमांकः एम0 कॉर्प0 बद्दी / बाई लॉज (Door To Door) / 2026–(3).––हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या 12 सन् 1994) की धारा 395 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम बद्दी द्वारा निम्नलिखित "घर–घर कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण उपविधियां, 2026" बनाने का प्रस्ताव किया जाता है।

उक्त उप–विधियों के प्रारूप को राजपत्र संख्या 03/GAZETTE/2026 दिनांक 04–04–2026 के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, ताकि इसके संबंध में आम जनता से प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किए जा सकें।

और जबकि, निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 395 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर निगम बद्दी द्वारा "घर–घर कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण उप–विधियां, 2026" को अंतिम रूप से प्रकाशित एवं अधिसूचित किया जाता है।

ये उप–विधियां राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

अध्याय–I
सामान्य

1. लघु शीर्षक एवं प्रवर्तनः

(क) इन प्रारूप उप–विधियों को "घर–घर कचरा संग्रहण एवं निस्तारण उप–विधियां, 2026, नगर निगम बद्दी कहा जाएगा।

(ख) ये उप–विधियां हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र (ई–गजट) में स्वीकृति एवं प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

(ग) ये उप–विधियां नगर निगम बद्दी के समस्त क्षेत्र में लागू होंगी।

2. परिभाषाएं.–– इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,––

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 है

(ख) **"थोक अपशिष्ट जनरेटर (Bulk Waste Generator)"** से अभिप्राय तथा इसमें वे भवन सम्मिलित हैं, जिनमें केंद्रीय सरकार के विभाग या उपक्रम, राज्य सरकार के विभाग या उपक्रम, स्थानीय निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या निजी कंपनियां, अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, होटल, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बाजार, धार्मिक स्थल, स्टेडियम एवं खेल परिसर शामिल हैं, जिनमें औसत अपशिष्ट उत्पादन दर 100 किलोग्राम प्रतिदिन से अधिक हो।

(ग) **"कम्पोस्टिंग"** से अभिप्राय एक नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन किया जाता है।

(घ) **"निस्तारण"** से अभिप्राय प्रसंस्करण के पश्चात शेष ठोस अपशिष्ट तथा इनर्ट सड़क झाड़ू कचरा एवं सतही नालियों की गाद का अनुसूची–I में निर्दिष्ट अनुसार अंतिम एवं सुरक्षित निपटान, जिससे भूजल, सतही जल, परिवेशीय वायु का प्रदूषण तथा पशु–पक्षियों का आकर्षण रोका जा सके।

(ङ) "**घरेलू खतरनाक अपशिष्ट**" से अभिप्राय घरेलू स्तर पर उत्पन्न त्यागे गए पेंट के डिब्बे, कीटनाशक के कनस्तर, CFL बल्ब, ट्यूब लाइट, एक्सपायर दवाइयाँ, टूटे हुए पारे के थर्मामीटर, प्रयुक्त बैटरियां, प्रयुक्त सुई एवं सिरिंज तथा दूषित गॉज आदि हैं।

(च) **"घर–घर कचरा संग्रहण"** से अभिप्राय घरों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, वाहन शोरूम, कार्यालयों, संस्थागत या अन्य गैर–आवासीय परिसरों के द्वार पर जाकर ठोस अपशिष्ट का संग्रहण करना है तथा इसमें आवासीय सोसायटी, बहुमंजिला भवनों या अपार्टमेंट्स, बड़े आवासीय, वाणिज्यिक या संस्थागत परिसरों में प्रवेश द्वार या भूतल पर निर्दिष्ट स्थान से कचरे का संग्रहण भी सम्मिलित हैं।

(छ) **"सूखा कचरा"** से अभिप्राय जैव–अपघटनीय कचरे एवं इनट सड़क झाड़ू कचरे के अतिरिक्त अन्य कचरा, जिसमें पुनर्चक्रण योग्य एवं अपुनर्चक्रणीय कचरा, ज्वलनशील कचरा तथा सेनेटरी नैपकिन एवं डायपर आदि शामिल हैं।

(ज) **"डम्प साइट"** से अभिप्राय वह भूमि है, जिसका उपयोग स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु बिना वैज्ञानिक लैंडफिल सिद्धांतों का पालन किए किया जाता है।

(झ) **"जुर्माना / दण्ड"** से अभिप्राय इन उप–विधियों के अंतर्गत निहित निर्देशों के अनुपालन न करने पर अपशिष्ट जनकों या अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण सुविधाओं के संचालकों पर लगाया गया दण्ड है।

(ञ) **"नगरपालिका"** से अभिप्राय हिमाचल प्रदेश की नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत है।

(ट) **"अजैव–अपघटनीय कचरा"** से अभिप्राय ऐसा कचरा है, जिसे सूक्ष्मजीवों द्वारा सरल स्थिर यौगिकों में अपघटित नहीं किया जा सकता।

(ठ) **"वैज्ञानिक लैंडफिल (Sanitary Land Filling)"** से अभिप्राय अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट एवं जड़ अपशिष्ट का भूमि पर ऐसे संरक्षित एवं सुरक्षित तरीके से अंतिम निस्तारण, जिसमें भूजल, सतही जल, वायु प्रदूषण, दुर्गंध, आग का खतरा, पशु–पक्षियों, कीटों एवं कृन्तकों का उपद्रव, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, ढलान अस्थिरता एवं कटाव से सुरक्षा के उपाय सम्मिलित हों।

(ड) **"सेनेटरी कचरा"** से अभिप्राय प्रयुक्त डायपर, सेनेटरी नैपकिन / टॉवल, टैम्पोन, कंडोम, असंयम शीट एवं अन्य समान प्रकार के कचरे से है।

(ढ) **"अनुसूची"** से अभिप्राय साइन बोर्ड के संबंध में दरों को दर्शाने वाली अनुसूची है

(ण) **"द्वितीयक भंडारण"** से अभिप्राय ठोस अपशिष्ट का संग्रहण के पश्चात अस्थायी रूप से द्वितीयक भंडारण केंद्रों, सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्र (MRF) या डिब्बों में रखना, ताकि आगे प्रसंस्करण या निस्तारण स्थल तक परिवहन किया जा सके।

(त) **"छंटाई (Segregation)"** से अभिप्राय ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों का पृथक्करण एवं अलग–अलग भंडारण करना है, जैसे जैव–अपघटनीय कचरा (जिसमें कृषि एवं डेयरी कचरा शामिल है), अजैव–अपघटनीय कचरा (जिसमें पुनर्चक्रण योग्य कचरा शामिल है), अपुनर्चक्रणीय ज्वलनशील कचरा, सेनेटरी कचरा, जड़ कचरा, घरेलू खतरनाक कचरा तथा निर्माण एवं विध्वंस कचरा।

(थ) **"सेवा प्रदाता"** से अभिप्राय वह प्राधिकरण है, जो जल, सीवरेज, विद्युत, टेलीफोन, सड़क, नाली आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करता है।

(द) **"उपयोगकर्ता शुल्क / प्रभार"** से अभिप्राय स्थानीय निकाय अथवा नियमों में वर्णित किसी इकाई द्वारा अपशिष्ट जनकों पर लगाया गया शुल्क है, जिससे ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण की लागत का पूर्ण या आंशिक वहन किया जा सके।

(ध) **"कचरा बीनने वाला / कचरा संग्राहक"** से अभिप्राय वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, जो अनौपचारिक रूप से कचरे के स्त्रोत, सड़कों, डिब्बों, सामग्री पुनर्प्राप्ति केंद्रों, प्रसंस्करण एवं निस्तारण स्थलों से पुनः उपयोग योग्य एवं पुनर्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट एकत्र कर, उसे पुनर्चक्रणकर्ताओं को सीधे या बिचौलियों के माध्यम से बेचकर अपनी आजीविका अर्जित करता है।

इसमें प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ, जो यहां पर परिभाषित नहीं हैं, परंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो इन संबंधित अधिनियमों एवं नियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

अध्याय–II
नगर निगम ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन

3. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन.––नगर निगम बद्दी एक एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) प्रणाली स्थापित करेगा, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट के निपटान की मात्रा को कम करना तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग, पुनर्प्राप्ति और दक्षता को बढ़ाना होगा। वांछित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित होगी,–

(I) **स्त्रोत पर कमी एवं पुनः उपयोग**.––ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे प्राथमिक विकल्प अपशिष्ट के उत्पन्न होने की रोकथाम होगा। इससे अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान की लागत में कमी आएगी तथा लीचेट, वायु उत्सर्जन एवं ग्रीनहाउस गैसों के उत्पन्न होने जैसे पर्यावरणीय प्रभावों में विशेष रूप से कमी होगी।

(II) **अपशिष्ट पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग)**.––अलगाव (सेग्रिगेशन), संग्रहण एवं पुनः प्रसंस्करण की प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्चक्रण योग्य सामग्री की पुनर्प्राप्ति कर नए उत्पादों का निर्माण करना अगला वांछित विकल्प होगा।

(III) **कम्पोस्टिंगः** यथासंभव अपशिष्ट के जैविक अंश का कम्पोस्ट बनाकर उसका उपयोग मृदा की उर्वरता एवं कृषि उत्पादन में सुधार हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

(IV) **अपशिष्ट से ऊर्जा (Waste-to-Energy)**.––जहाँ अपशिष्ट से सामग्री की पुनर्प्राप्ति संभव नहीं हो, वहां ऊष्मा, विद्युत या ईंधन के उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। बायो–मीथनेशन, अपशिष्ट दहन (इंसिनरेशन), रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल (RDF) का उत्पादन तथा छंटे हुए शुष्क अपशिष्ट के सह–प्रसंस्करण जैसी तकनीकों को सामान्यतः अपनाया जाएगा।

(V) अपशिष्ट का निपटानः शेष अवशिष्ट अपशिष्ट, जिसमें मुख्यतः निष्क्रिय पदार्थ (इनर्ट्स) होते हैं, का निपटान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार निर्मित वैज्ञानिक लैंडफिल स्थलों में किया जाएगा।

(VI) एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल होगी। ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाने हेतु अपशिष्ट न्यूनिकरण, पुनर्चक्रण, अपशिष्ट से ऊर्जा रणनीतियाँ तथा लैंडफिल गैस के संग्रहण एवं उपयोग जैसे उपाय, जैसा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में प्रोत्साहित किया गया है, अपनाए जाएंगे।

अध्याय–III

नगर निगम ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं परिवहन

4. नगर निगम ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण एवं प्राथमिक भंडारण.—(क) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक / नागरिक का यह प्रमुख दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को तीन पृथक धारा जैव अपघटनीय, अजैव अपघटनीय तथा घरेलू खतरनाक अपशिष्टकृत में (या समय–समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार) उपयुक्त ढक्कनयुक्त डिब्बों में अलग–अलग रखे तथा निर्धारित समय पर नगर निगम बद्दी अथवा उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी / अधिकृत कचरा संग्राहक को सौंपे। प्रत्येक नागरिक को घर–घर कचरा संग्रहण सेवा के लिए निर्धारित मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) अपशिष्ट उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे स्त्रोत पर ही अपशिष्ट का पृथक्करण करें तथा उसे तीन अलग–अलग रंग के डिब्बों में संग्रहित करें, जैसे / हरा (जैव अपघटनीय अपशिष्ट), नीला (अजैव अपघटनीय अपशिष्ट) तथा लाल (घरेलू खतरनाक अपशिष्ट)।

(ग) 5,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी संस्थान इन उपविधियों के अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर नगर निगम बद्दी के साथ समन्वय स्थापित कर स्त्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक धाराओं में संग्रहण की व्यवस्था करेंगे तथा पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अधिकृत कचरा बीनने वालों या अधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को सौंपेंगे। जैव अपघटनीय अपशिष्ट का यथासंभव परिसर में ही कम्पोस्टिंग या बायो–मीथनेशन के माध्यम से उपचार एवं निपटान किया जाएगा। अवशिष्ट अपशिष्ट को नगर निगम के निर्देशानुसार कचरा संग्राहक या एजेंसी को दिया जाएगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति बिना नगर निगम को कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व सूचना दिए, किसी भी बिना लाइसेंस वाले स्थान पर 100 से अधिक व्यक्तियों का कोई आयोजन या सभा नहीं करेगा। ऐसे आयोजनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट का स्त्रोत पर पृथक्करण हो तथा पृथक अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट कचरा संग्राहक / एजेंसी को सौंपा जाए।

(ङ) प्रयुक्त स्वच्छता (सैनिटरी) अपशिष्ट को, उत्पन्न होते ही, निर्माताओं / ब्रांड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पैकेटों में या अखबार / उपयुक्त जैव अपघटनीय रैपिंग सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर, अजैव अपघटनीय या सूखे अपशिष्ट हेतु निर्धारित डिब्बे में रखा जाएगा।

(च) प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर अपने कार्य के दौरान उत्पन्न अपशिष्टकृत जैसे खाद्य अपशिष्ट, डिस्पोजेबल प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर, नारियल के छिलके, बचा हुआ भोजन, सब्जियां, फल आदि के संग्रहण हेतु उपयुक्त पात्र रखेगा तथा इस अपशिष्ट को नगर निगम बद्दी द्वारा अधिसूचित कचरा संग्रहण केंद्र / कंटेनर / वाहन में डालेगा।

(छ) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न होने पर स्वामी अपने परिसर में पृथक रूप से संग्रहित करेगा तथा उसका निपटान निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार करेगा।

(ज) उद्यान एवं बागवानी अपशिष्ट (जैसे पार्क, स्टेडियम आदि) के बड़े अपशिष्ट उत्पादक अपने परिसर में इस अपशिष्ट को पृथक रूप से संग्रहित करेंगे तथा नगर निगम द्वारा समय–समय पर निर्धारित तरीके से उसका निपटान करेंगे।

(झ) कोई भी अनुपचारित जैव–चिकित्सीय अपशिष्ट, ई–अपशिष्ट, खतरनाक रसायन या औद्योगिक अपशिष्ट नगर निगम ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों को इसके लिए निर्धारित पृथक नियमों का पालन करना होगा।

(ञ) प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उत्पन्न ठोस अपशिष्ट को न तो जलाया जाए और न ही दफनाया जाए, तथा उसे सड़कों / खुले सार्वजनिक स्थानों / नालियों या जल स्त्रोतों में नहीं फेंका जाए।

(ट) सड़कों, खुले स्थानों, जल स्त्रोतों या नालियों में कचरा फेंकने पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जाएगा। बार–बार उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई एवं विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(ठ) समय–समय पर जन–जागरूकता अभियान आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके। कार्यक्रमों में RWA (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन), स्थानीय गैर–सरकारी संगठन (NGOs), जन प्रतिनिधि तथा निर्वाचित स्थानीय सदस्य को शामिल किया जाएगा, ताकि नागरिकों को प्रेरित किया जा सके।

5. ठोस अपशिष्ट (कचरा) का प्राथमिक संग्रहण.—(क) नगर / कस्बे के प्रत्येक घर से कचरे के प्राथमिक संग्रहण हेतु उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुसार व्हील बैरो, पुश कार्ट, ट्राइसाइकिल, छोटे ऑटो टिप्पर आदि साधनों का उपयोग किया जाएगा।

(ख) नगर निगम द्वारा सभी घरों, झुग्गी–झोंपड़ी एवं अनौपचारिक बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत तथा अन्य गैर–आवासीय परिसरों से पृथक किए गए ठोस कचरे का दैनिक घर–घर जाकर संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा। बहुमंजिला इमारतों, बड़े वाणिज्यिक परिसरों, मॉल, आवासीय कॉम्प्लेक्स आदि से कचरा प्रवेश द्वार या किसी निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जा सकता है।

(ग) नगर निगम को अपशिष्ट संग्राहकों / अनौपचारिक कचरा बीनने वालों के संगठनों की पहचान हेतु व्यवस्था स्थापित करनी होगी तथा उन्हें बढ़ावा देते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित प्रणाली विकसित करनी होगी, जिसमें घर–घर कचरा संग्रहण भी शामिल होगा।

(घ) नगर निगम स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के गठन को प्रोत्साहित करेगा, उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराएगा तथा अनौपचारिक कचरा बीनने वालों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विशेषकर घर–घर कचरा संग्रहण में सम्मिलित करेगा।

(ङ) नगर निगम सड़कों, गलियों एवं उप–गलियों की सफाई से उत्पन्न कचरे का पृथक संग्रहण दैनिक, वैकल्पिक दिवसों पर अथवा सप्ताह में दो बार, जनसंख्या घनत्व, वाणिज्यिक गतिविधियों एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार करेगा।

(च) नगर निगम उद्यानों, पार्कों एवं बाग–बगीचों से उत्पन्न कचरे का पृथक संग्रहण करेगा तथा यथासंभव उसी स्थल पर उसका प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सुनिश्चित करेगा।

(छ) घर–घर कचरा संग्रहण सेवाओं का समय नगर निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा। सामान्यतः यह समय प्रातः 6.00 बजे से 9.00 बजे तक होगा। कचरा संग्रहण हेतु प्रयुक्त वाहन जैसे ट्राइसाइकिल, ऑटो टिप्पर आदि में निर्धारित ध्वनि स्तर (डेसिबल) के अनुरूप अलार्म होना चाहिए तथा सफाई कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समय का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

(ज) वाणिज्यिक परिसरों, कार्यालयों एवं सेकेंडरी बिन्स से कचरा संग्रहण का समय प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक या नगर निगम द्वारा निर्धारित अनुसार होगा।

(झ) नगर निगम प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक संग्रहण Plastic Waste Management Rules] 2016 के अनुसार करेगा।

(ञ) प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं शिकायत निवारण हेतु नगर निगम आवश्यकता अनुसार कार्यालय / केंद्र स्थापित करेगा।

(ट) घर–घर कचरा संग्रहण सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा.—

क्र0 सं0	उपयोगकर्ता की श्रेणी	उपयोगकर्ता शुल्क (मासिक आधार पर) (रू0 में)
1.	आवासीय (2000 वर्ग फुट से कम)	50
2.	आवासीय (2000 वर्ग फुट से अधिक)	100
3.	वाणिज्यिक परिसर (ढाबा, मिठाई की दुकान, कॉफी हाउस, किराना स्टोर	350
4.	पान की दुकान	80
5.	चाय की दुकान	80
6.	दुकानें (दैनिक उपयोग, कपड़े आदि)	100
7.	सब्जी एवं फल की दुकान (Wholesale)	1000
8.	सब्जी एवं फल की दुकान (Retails)	250
9.	मिठाई / नाश्ता दुकान (बड़ी)	400
10.	कार्यालय (2 कमरे)	100
11.	कार्यालय (3–5 कमरे)	250
12.	कार्यालय (6–10 कमरे)	1000
13.	कार्यालय (11–20 कमरे)	2000
14.	कार्यालय (11–20 से ज्यादा कमरे)	20 कमरों के लिए 2000 रुपये प्रत्येक अतिरिक्त कमरे के लिए 100 रुपये।
15.	बैंक बैंक (क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट से अधिक)	500 750
16.	सरकारी विद्यालय	100
17.	निजी विद्यालय (100 छात्रों तक, प्रमाण पत्र सहित)	500
18.	निजी विद्यालय (100 से अधिक छात्र)	1500
19.	बेकरी (छोटी)	500
20.	बेकरी (निर्माण इकाई)	1200
21.	पीजी / हॉस्टल / गेस्ट हाउस (10 कमरे तक)	500
22.	पीजी / हॉस्टल / गेस्ट हाउस (11 से 20 कमरे तक)	1500
23.	पीजी / हॉस्टल / गेस्ट हाउस (21 से 30 कमरे तक)	2500
24.	पीजी / हॉस्टल / गेस्ट हाउस (30 कमरे से ज्यादा)	30 कमरों के लिए 2500 रुपये. प्रत्येक अतिरिक्त कमरे के लिए 50 रुपये।
25.	धर्मशाला	550
26.	वर्कशॉप (टायर पंचर)	100
27.	वर्कशॉप (मरम्मत)	250
28.	वर्कशॉप (मरम्मत + स्पेयर पार्ट्स)	500
29.	वर्कशॉप (वाहन शोरूम + मरम्मत +स्पेयर पार्ट्स)	750
30.	वाहन शोरूम	600
31.	वर्कशॉप (जो किसी NH/SH से नहीं जुड़ी)	300
32.	रेस्टोरेंट	1500
33.	रेस्टोरेंट + बार	1700
34.	सिनेमा हॉल (मल्टीप्लेक्स सहित)	1500
35.	सरकारी कॉलेज	1000
36.	निजी कॉलेज	1500
37.	अस्पताल / नर्सिंग होम (50 बेड तक)	1500
38.	अस्पतालध्नर्सिंग होम (51–100 बेड)	2000
39.	अस्पताल / नर्सिंग होम (100 से अधिक बेड)	2000 + 250 प्रत्येक अतिरिक्त बिस्तर के लिए रुपये।
40.	क्लिनिक	500

41.	क्लिनिक (दवा दुकान सहित)	1000
42.	केमिस्ट की दुकान	200
43.	प्रयोगशाला (लैब)	200
44.	बैंक्वेट हॉल / होटल	2000, और मांग पर प्रति ट्रिप 2000
45.	विशेष होटल (50 से अधिक कमरे)	15000, और मांग पर प्रति ट्रिप 2000
46.	डम्पर वाहन (मांग पर)	3000 प्रति ट्रिप
47.	बड़े मॉल	2000 प्रति मंजिल
48.	मांस की दुकान (चिकन वेस्ट वाहन से जुड़ी नहीं)	500
49.	कन्फेक्शनरी सब्जी दुकान	250
50.	कबाड़ी (स्क्रैप डीलर)	400
51.	रेहड़ी विक्रेता	100
52.	घरों में पशुओं का गोबर	350
53.	सैलून	750
54.	बड़े कपड़े की दुकान	1000
55.	अन्य संस्थान (उपरोक्त में शामिल नहीं)	नगर निगम बद्दी द्वारा निर्धारित की जाएगी

नोट.–निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क को नगर निगम द्वारा समय–समय पर "प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pay Principle)" को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जा सकता है, ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत सेवाओं के संचालन एवं अनुरक्षण (Operation & Maintenance) की लागत को पूरा किया जा सके।

(क) उपर्युक्त निर्धारित घर–घर कचरा संग्रहण सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क नगर निगम की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के प्रत्येक घर एवं अन्य प्रतिष्ठानों से अनिवार्य रूप से वसूला जाएगा। निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क, संबंधित संपर्क व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल नंबर आदि की जानकारी आम जनता तक विभिन्न माध्यमों जैसे इन सेवाओं में प्रयुक्त वाहनों पर प्रदर्शित करना, होर्डिंग्स, पंपलेट आदि के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। साथ ही जन–जागरूकता अभियान भी आयोजित किए जाएंगे।

(ख) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, कचरे को कम्पैक्टर में बिना किसी सुरक्षा उपाय के या खुले हाथों से मैन्युअल रूप से लोड या अनलोड करना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।

6. नगर ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक भंडारण (Secondary Storage).—(क) जहां तक संभव हो, नगर निगम बद्दी नगर क्षेत्र में बिना डस्टबिन (Bin Free) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित करने का प्रयास करेगा। इसके लिए कचरा उत्पादक के द्वार से 100% कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जाएगा।

(ख) तथापि, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम है अथवा 100% घर–घर संग्रहण व्यवहार्य नहीं है, वहां नगर निगम बद्दी स्वयं अथवा नियुक्त एजेंसी के माध्यम से कचरा संग्रह हेतु भंडारण डिब्बे / द्वितीयक संग्रहण स्थल विकसित करेगा। इन डिब्बों की स्थिति की निगरानी भी की जाएगी ताकि आसपास गंदगी या अस्वच्छता न फैले। द्वितीयक भंडारण स्थापित एवं संचालित करते समय निम्नलिखित सावधानियां अपनाई जाएँगीः–

(I) भंडारण / द्वितीयक डिब्बों का डिजाइन कचरे की मात्रा एवं अधिसूचित नगर क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व के आधार पर किया जाएगा। दो डिब्बों के बीच न्यूनतम दूरी 500 मीटर होगी। स्थापित डिब्बे ढक्कनयुक्त होंगे तथा धातु या अधातु सड़क से जुड़े / सुगम्य होंगे।

(II) नगर निगम अथवा नियुक्त एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए डिब्बों का डिजाइन ऐसा होगा कि उसमें डाला गया कचरा खुले वातावरण में न फैले तथा वह आकर्षक भी हो ताकि लोग कचरा खुले में फेंकने के बजाए डिब्बों में डालने के लिए प्रेरित हों।

(III) निर्धारित स्थानों पर लगाए गए डिब्बे लोगों को कचरे का पृथक्करण (Segregation) करने हेतु प्रेरित करेंगे तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार रंग–कोडिंग युक्त होंगेः

हरा (Green): जैव–अवक्रमणीय कचरा (खाद्य अपशिष्ट, बगीचे का कचरा)
नीला (Blue): अजैव–अवक्रमणीय कचरा
लाल (Red): खतरनाक / विषैला कचरा

(IV) कचरे के परिवहन एवं डिब्बों को खाली करने हेतु सुव्यवस्थित वाहन जैसे ऑटो टिप्पर / कम्पैक्टर का उपयोग किया जाएगा।

(ग) सभी सहकारी समितियां, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन / सोसाइटी एवं संस्थागत संगठन अपने परिसर में नगर निगम द्वारा अनुमोदित उपयुक्त संख्या में डिब्बे निर्धारित स्थान पर स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होंगे, ताकि उत्पन्न कचरे का समुचित भंडारण हो सके एवं समय–समय पर नगर निगम के वाहन द्वारा संग्रहण किया जा सके। इन सेवाओं हेतु निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क स्थानीय निकाय के अधिकृत व्यक्ति द्वारा वसूला जाएगा।

(घ) सभी कचरा उत्पादकों / नागरिकों की यह प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वे पुनर्चक्रण योग्य कचरे (recyclable waste) को अलग रखें तथा रैग–पिकर्स / कबाड़ी या नगर निगम द्वारा नामित व्यक्ति / संस्था को सौंपें / बेचें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसा कचरा सड़क, नाली, डिब्बों या खुले स्थानों पर न फेंका जाए।

(ङ) घर–घर कचरा संग्रहण, डिब्बों की व्यवस्था, कचरे का संग्रहण एवं परिवहन, प्रसंस्करण तथा सैनिटरी लैंडफिल साइट पर निस्तारण–ये सभी सेवाएं नगर निगम या नियुक्त एजेंसी द्वारा प्रदान की जाएंगी। इन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लिया जाएगा तथा उल्लंघन करने वालों पर मौके पर जुर्माना या नियमों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(च) बूचड़खाना, मछली बाजार, फल एवं सब्जी बाजार से उत्पन्न कचरा जैव–अवक्रमणीय होता है, अतः इसके लिए उचित भंडारण एवं कम्पोस्टिंग की व्यवस्था की जाएगी ताकि इससे जैविक खाद तैयार की जा सके। प्रत्येक उत्पादक को कचरे का पृथक्करण एवं उचित भंडारण सुनिश्चित करना होगा। ऐसे कचरे का 100% घर–घर संग्रहण कर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना या विधिक कार्यवाही की जाएगी।

(छ) नगर निगम घरेलू खतरनाक कचरे के लिए पृथक संग्रहण केंद्र स्थापित करेगा तथा कचरा उत्पादकों को निर्देश देगा कि वे ऐसे कचरे को सुरक्षित निस्तारण हेतु इन केंद्रों पर जमा करें। प्रत्येक 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र (या उसके भाग) के लिए एक केंद्र स्थापित किया जाएगा तथा कचरा जमा करने का समय भी निर्धारित किया जाएगा।

(ज) जैव–चिकित्सीय (Bio-medical) एवं औद्योगिक कचरे को नगर निगम के कचरे के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा। इसका पृथक भंडारण एवं निस्तारण संबंधित नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सामान्य बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट सुविधा (CBMWTF) स्थापित की जाएगी। निर्धारित शुल्क देकर ऐसे कचरे का निस्तारण किया जा सकेगा।

(झ) निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरे को उत्पन्न होने पर पृथक रूप से स्वामी के परिसर में संग्रहित किया जाएगा तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। नगर निगम इसके परिवहन एवं निस्तारण हेतु शुल्क निर्धारित करेगा। खुले स्थान, सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थान पर ऐसे कचरे का निस्तारण अवैध माना जाएगा एवं दंडनीय होगा।

(ञ) बागवानी / उद्यान कचरे को भी स्रोत पर अलग रखा जाएगा। नगर निगम सप्ताह में एक या दो दिन निर्धारित करेगा तथा स्थान तय करेगा जहाँ कचरा जमा किया जाएगा और वहाँ से निस्तारण स्थल तक पहुँचाया जाएगा।

(ट) सूखी पत्तियां, प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को खुले में जलाना प्रतिबंधित होगा। ऐसा करना अवैध एवं दंडनीय होगा।

(ठ) आवारा पशुओं को कचरा निस्तारण स्थलों, द्वितीयक भंडारण डिब्बों एवं सार्वजनिक स्थानों के आसपास घूमने से रोका जाएगा।

(ड) प्रत्येक नागरिक, संस्थान, कार्यालय भवन एवं वाणिज्यिक परिसर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर या अन्य प्रदूषित जल का खुले में, नालियों, सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर निर्वाहन न हो। ऐसा करना अवैध एवं दंडनीय होगा।

(ढ) कोई भी व्यक्ति मृत पशु या अन्य अपशिष्ट को खुले स्थान, सड़क किनारे, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकेगा। ऐसा करना अवैध एवं दंडनीय होगा।

(ण) नगर निगम सड़कों की सफाई से प्राप्त कचरे एवं नालियों से निकाली गई गाद के अस्थायी भंडारण हेतु ढके हुए द्वितीयक भंडारण स्थल स्थापित करेगा। जहाँ ऐसे कचरे को सीधे परिवहन वाहन में डालना संभव न हो, वहाँ एकत्रित कचरे को निर्धारित अंतराल पर एकत्र कर निस्तारित किया जाएगा।

7. नगर ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण एवं परिवहन (Secondary Collection & Transportation).—(क) प्रत्येक भंडारण डिब्बे / द्वितीयक भंडारण स्थल से कचरे का प्रतिदिन ऑटो टिप्पर, ट्रैक्टर, कम्पैक्टर आदि के माध्यम से संग्रहण किया जाएगा।

(ख) कचरे के परिवहन हेतु बंद (Closed) एवं खंडित (Compartmentalized) वाहन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें गीले एवं सूखे कचरे के लिए अलग–अलग भाग (partition) हों। कचरे के बार–बार लोडिंग एवं अनलोडिंग की आवृत्ति को कम करने के लिए कम्पैक्टर का उपयोग किया जाएगा।

(ग) नगर निगम घरेलू खतरनाक कचरे के सुरक्षित भंडारण एवं उसके उचित निस्तारण हेतु खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण केंद्र तक सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेगा।

(घ) पृथक किए गए जैव–अवक्रमणीय कचरे को कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मीथनेशन प्लांट अथवा अन्य प्रसंस्करण इकाइयों तक पहुँचाया जाएगा। ऐसे कचरे के लिए स्थल पर (on-site) प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ङ) अजैव–अवक्रमणीय कचरे को संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) या द्वितीयक भंडारण स्थलों तक पहुँचाया जाएगा। निर्माण एवं विध्वंस (C&D) कचरे का परिवहन निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा।

अध्याय–IV

नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं निस्तारण

8. अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र (Waste Processing Plant).—नगर निगम को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन / प्रसंस्करण संयंत्र विकसित करना होगा, ताकि प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले जैव–अवक्रमणीय कचरे का उपयोग किया जा सके तथा सैनिटरी लैंडफिल स्थल पर डाले जाने वाले कचरे की मात्रा कम की जा सके।

(क) नगर निगम को सब्जी, फल, फूल, मांस, पोल्ट्री एवं मछली बाजारों से प्रतिदिन कचरा एकत्र करना होगा तथा इन बाजारों में या उनके आसपास उपयुक्त स्थानों पर विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट प्लांट या बायो–मीथनेशन प्लांट स्थापित करने को बढ़ावा देना होगा, जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित हो। समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए घरेलू कम्पोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन एवं सामुदायिक स्तर पर विकेन्द्रीकृत कचरा प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जाएगा, साथ ही दुर्गंध नियंत्रण एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

(ख) जैव–अवक्रमणीय कचरे के प्रसंस्करण हेतु नगर निगम को कम्पोस्टिंग संयंत्र–जैसे विंडरो कम्पोस्ट प्लांट, वर्मी–कम्पोस्टिंग प्लांट, वेस्ट–टू–एनर्जी प्लांट अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक स्थापित करनी होगी, जिसे नगर निगम स्वयं या किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी / फर्म / संस्था की सहायता से Build–Operate–Transfer (BOT) अथवा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड (OO) पद्धति पर संचालित कर सकता है।

(ग) मिश्रित पुनर्चक्रण योग्य कचरे के प्रसंस्करण हेतु नगर निगम को रीसाइक्लिंग इकाइयाँ–जैसे इंसीनेरेशन, RDF प्लांट अथवा अन्य उपयुक्त तकनीक–स्वयं या किसी लाइसेंस प्राप्त कंपनी / फर्म / संस्था के सहयोग से BOT/OO पद्धति पर स्थापित करनी होंगी।

(घ) नगर निगम गैर–जैव–अवक्रमणीय / सूखे कचरे को RDF (Refuse Derived Fuel) के रूप में निकटवर्ती सीमेंट फैक्ट्रियों को सह–प्रसंस्करण (co-processing) हेतु भेज सकता है।

9. अपशिष्ट निस्तारण (Waste Disposal).—(क) सैनिटरी लैंडफिल की स्थापना एवं संचालन की निर्धारित समय–सीमा पूर्ण होने के पश्चात नगर निगम मिश्रित कचरे का लैंडफिल / डंपिंग पूर्णतः बंद करेगा।

(ख) केवल गैर–उपयोगी, गैर–पुनर्चक्रण योग्य, गैर–जैव–अवक्रमणीय, गैर–दहनशील एवं निष्क्रिय (inert) कचरा तथा प्रसंस्करण इकाइयों से उत्पन्न अवशेष एवं रिजेक्ट्स ही सैनिटरी लैंडफिल में डाले जाएंगे।

(ग) लैंडफिल स्थल का चयन एवं निर्माण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची–I में दिए गए मानकों के अनुसार होगा। साथ ही अधिकतम प्रयास किया जाएगा कि कचरे का पुनर्चक्रण या पुनः उपयोग किया जाए, ताकि लैंडफिल में जाने वाले कचरे की मात्रा न्यूनतम (शून्य के निकट) हो।

(घ) नगर निगम सभी पुराने खुले डंपसाइट्स एवं वर्तमान में संचालित डंपसाइट्स का सर्वेक्षण एवं विश्लेषण करेगा, ताकि उनमें बायो–माइनिंग एवं बायो–रिमेडिएशन की संभावनाओं का आकलन किया जा सके। जहाँ संभव हो, इन तकनीकों के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ङ) जहां डंपसाइट पर बायो–माइनिंग या बायो–रिमेडिएशन संभव नहीं है, वहाँ पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने हेतु वैज्ञानिक पद्धति से लैंडफिल कैपिंग (Landfill Capping) की जाएगी।

अध्याय–V
वार्ड समिति द्वारा निगरानी

10. वार्ड स्वच्छता समिति का गठन.—नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड स्वच्छता समिति का गठन किया जाएगा। वार्ड स्वच्छता समिति में 11 से 15 सदस्य होंगे। इस समिति के सदस्यों में वार्ड सदस्य, स्वच्छता निरीक्षक, कर संग्राहक या नगर निगम द्वारा नामित अधिकारी, संबंधित वार्ड की रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) के प्रतिनिधि, स्लम स्वच्छता समिति के प्रतिनिधि, सामुदायिक आधारित संगठनों (जैसे स्वयं सहायता समूह, युवा क्लब आदि) के प्रतिनिधि, स्थानीय नेता, वरिष्ठ नागरिक आदि शामिल होंगे। **वार्ड स्वच्छता समिति संबंधित वार्ड में स्वच्छता गतिविधियों की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करेगी।**

अध्याय–VI
हितधारकों की जिम्मेदारियां

11. विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारियां.—(क) कचरा उत्पादकों की जिम्मेदारियां:

i. कोई भी कचरा उत्पादक अपने द्वारा उत्पन्न कचरे को सड़क, खुले स्थान, नाली या जल निकायों में नहीं डालेगा।

ii. कोई भी व्यक्ति अपने घर, संस्था या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से निकलने वाले गंदे पानी, कीचड़, मल, गोबर, मूत्र या अन्य प्रदूषित जल को अपने परिसर में एकत्रित नहीं होने देगा तथा न ही उसे सार्वजनिक सड़कों पर इस प्रकार बहने देगा जिससे दुर्गंध फैले या जन स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो।

iii. उपयोग किए गए सैनिटरी अपशिष्ट को उत्पन्न होते ही अखबार या उपयुक्त जैव–अवक्रमणीय सामग्री में सुरक्षित रूप से लपेटकर गैर–जैव–अवक्रमणीय कचरे के लिए निर्धारित घरेलू डिब्बे में डाला जाएगा।

iv. सभी नागरिक अपने परिसर में उत्पन्न पुनर्चक्रण योग्य कचरे को नगर निगम द्वारा अधिकृत कचरा बीनने वालों / संग्रहकर्ताओं या नगर निगम के कंटेनरों में ही डालेंगे और किसी भी स्थिति में सड़क पर नहीं फेंकेंगे।

v. सभी कचरा उत्पादक इन उपविधियों में निर्धारित उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान करेंगे।

vi. कोई भी कचरा उत्पादक अपने द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को सड़क, सार्वजनिक स्थान, अपने परिसर के बाहर, नालियों या जल निकायों में न तो फेंकेगा, न जलाएगा और न ही दबाएगा।

vii. कोई भी व्यक्ति मृत पशु या उसके अवशेषों को किसी सार्वजनिक स्थान या ऐसे स्थान पर नहीं डालेगा जिससे प्रदूषण फैलता हो।

viii. यदि कोई व्यक्ति निषिद्ध गतिविधियों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो नगर निगम द्वारा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

(ख) वार्ड स्वच्छता समिति की जिम्मेदारियां:

i. वार्ड स्वच्छता समिति वार्ड में स्वच्छता एवं सफाई गतिविधियों की निगरानी करेगी

ii. यह समिति वार्ड स्तर पर स्वच्छता से संबंधित शिकायतों के निवारण का केंद्र (Grievance Redressal Point) होगी।

iii. समिति को उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।

iv. समिति घरेलू कम्पोस्टिंग, बायोगैस उत्पादन एवं सामुदायिक स्तर पर विकेन्द्रीकृत कचरा प्रसंस्करण को बढ़ावा देगी, साथ ही दुर्गंध नियंत्रण एवं स्वच्छता बनाए रखने पर ध्यान देगी।

v. समिति इन उपविधियों के उल्लंघनकर्ताओं को चेतावनी देगी। वार्ड स्वच्छता समिति या नगर निगम द्वारा दो बार चेतावनी देने के पश्चात भी उल्लंघन जारी रहने पर निर्धारित प्रावधानों के अनुसार दंड लगाया जाएगा।

(ग) नगर निगम की जिम्मेदारियां:

i. नगर निगम बद्दी अपने क्षेत्राधिकार में सभी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों, अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों, बाजारों, अपने पार्कों, उद्यानों, पर्यटन स्थलों एवं श्मशान / कब्रिस्तान आदि की प्रतिदिन एवं वर्षभर सफाई सुनिश्चित करेगा तथा निकटतम घोषित भंडारण स्थलों से कचरा एकत्र कर बंद वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन अंतिम निस्तारण स्थल तक पहुँचाएगा। इसके लिए नगर निगम अपने स्थायी स्टाफ एवं वाहनों के अतिरिक्त निजी एजेंसियों को पीपीपी (PPP) मोड पर नियुक्त कर सकता है।

ii. नगर निगम या उसकी अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर उपयुक्त सामुदायिक डिब्बों की व्यवस्था एवं रखरखाव सुनिश्चित करेगी।

iii. स्वच्छता गतिविधियों के विकेन्द्रीकृत एवं नियमित प्रबंधन हेतु नगर निगम प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी नामित करेगा, जो कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों, यूरिनल, ट्रांसफर स्टेशन, लैंडफिल एवं प्रसंस्करण इकाइयों आदि की निगरानी करेगा।

iv. नामित वार्ड अधिकारी संबंधित वार्ड स्वच्छता समिति का सदस्य होगा तथा वार्ड स्तर पर स्वच्छता से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु प्रथम संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेगा।

v. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं एवं संबंधित अवसंरचना के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव को स्वयं या किसी एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित करेगा तथा उपयुक्त तकनीकों, शहरी विकास मंत्रालय के दिशा–निर्देशों एवं केंद्रीय / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का पालन करेगा।

vi. नगर निगम सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) अभियानों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न करेगा तथा कचरा उत्पादकों को कचरे के न्यूनतम उत्पादन, पुनः उपयोग, कचरा पृथक्करण (गीला, सूखा एवं घरेलू खतरनाक), सैनिटरी अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण एवं उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के बारे में शिक्षित करेगा।

vii. अधिसूचना के दो वर्षों के भीतर नगर निगम द्वारा संचालित सभी पार्कों एवं उद्यानों में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कम्पोस्ट का उपयोग किया जाएगा।

viii. अनौपचारिक कचरा पुनर्चक्रण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा।

ix. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित एवं औपचारिक बनाने के प्रयास करेगा तथा कचरा प्रबंधन में कार्यरत अनौपचारिक श्रमिकों (रैग पिकर्स) को प्राथमिकता देते हुए उन्हें औपचारिक प्रणाली में सम्मिलित करेगा।

x. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कचरा प्रबंधन में लगे सभी श्रमिकों को यूनिफॉर्म, फ्लोरोसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते एवं मास्क जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) उपलब्ध कराए जाएँ और उनका उपयोग किया जाए।

xi. नगर निगम अपने कर्मचारियों एवं आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों की कार्यस्थल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपकरण प्रदान करेगा।

xii. किसी भी ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण / उपचार / निस्तारण सुविधा या लैंडफिल स्थल पर दुर्घटना होने की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम आयुक्त, बद्दी को सूचित करेगा, जो आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

अध्याय–VII
अभियोग और दंड

12. अभियोजन (Prosecution).—(क) उपर्युक्त नियमों के उल्लंघन की स्थिति में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अभियोजन किया जा सकता है। साथ ही, यदि इन उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित सेवाओं के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी अधिकारी / कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं या कार्य में विलंब करते हैं, तो उनके विरुद्ध भी अभियोजन किया जा सकता है।

(ख) जो कोई भी उपर्युक्त उपविधियों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह प्रचलित अधिनियम / नियम / कानून / उपविधियों के अंतर्गत निर्धारित दंड के अतिरिक्त जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति एवं अन्य नागरिक सुविधाओं के विच्छेदन (डिस्कनेक्शन) के लिए भी उत्तरदायी होगा। नगर निगम बद्दी के आयुक्त, दोषी पाए गए व्यक्ति / गृह / संस्था / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के पक्ष में प्रदान की गई अन्य सेवाओं को वापस लेने हेतु संबंधित सक्षम प्राधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं।

13. दंड (Penalties).—उपर्युक्त नगर निगम उपविधियों के उल्लंघन पर निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं:–

क्र0 सं0	अपराध	दंड
1.	आवासीय कॉलोनी के निवासियों द्वारा कचरा फैलाना	₹ 500 प्रतिदिन
2.	दुकानदारों द्वारा खुले में कचरा फेंकना	₹ 1000 प्रतिदिन
3.	रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा कचरा फैलानाध्खुले में डालना	₹ 2000 प्रतिदिन
4.	होटल मालिकों द्वारा कचरा फैलानाध्खुले में डालना	₹ 2000 प्रतिदिन
5.	उद्योगों द्वारा कचरा फैलानाध्खुले में डालना	₹ 5000 प्रतिदिन
6.	स्ट्रीट वेंडर (फास्ट फूड, चाट, आइसक्रीम, जूस आदि) द्वारा कचरा फैलाना	₹ 250 प्रतिदिन
7.	सार्वजनिक स्थान पर खुले में शौच / मूत्रत्याग	₹ 500 प्रति अपराध
8.	गोबर का खुले / सार्वजनिक स्थान पर निस्तारण	₹ 2000 प्रतिदिन
9.	निर्माण एवं विध्वंस कचरे का खुले / सार्वजनिक स्थान पर निस्तारण (निवासी द्वारा)	₹ 2000 प्रतिदिन
10.	निजी वाहन / ट्रैक्टर द्वारा परिवहन के दौरान सड़क पर कचरा गिराना	₹ 2000 प्रतिदिन
11.	घर से अपशिष्ट जल का अनधिकृत स्थान पर निस्तारण	₹ 2000 प्रतिदिन
12.	सीवर का अनधिकृत स्थान पर निस्तारण	₹ 5000 प्रतिदिन
13.	क्रमांक 2–6 में वर्णित प्रतिष्ठानों द्वारा पर्याप्त बंद डस्टबिन न रखना	₹ 5000 प्रतिदिन
14.	वाहन / साइकिल मरम्मत करने वालों द्वारा सड़क किनारे तेल, धूल, पानी आदि फैलाना	₹ 1000 प्रतिदिन
15.	दुकानदार द्वारा पशु की खाल, पंख, खून, मांस आदि का अनुचित निस्तारण	₹ 2000 प्रतिदिन
16.	पालतू पशुओं (कुत्ता, गाय आदि) द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाना	₹ 1000 प्रतिदिन
17.	विवाह स्थल / सामुदायिक स्थल / मेला मैदान के सामने कचरा फैलाना	₹ 5000 प्रतिदिन
18.	ढाबों या अन्य दुकानों द्वारा सड़क अतिक्रमण एवं कचरा फेंकना	₹ 1000 प्रतिदिन
19.	फल / सब्जी विक्रेताओं द्वारा सड़क अतिक्रमण एवं कचरा फेंकना	₹ 250 प्रतिदिन
20.	सैलून द्वारा सड़क अतिक्रमण एवं कचरा फेंकना	₹ 250 प्रतिदिन
21.	व्यवसायी / दुकानदार द्वारा C&D कचरा खुले में डालना	₹ 5000 प्रतिदिन
22.	निजी अस्पताल / क्लिनिक द्वारा कचरा खुले में डालना	₹ 5000 प्रतिदिन
23.	स्त्रोत पर कचरे का पृथक्करण न करना	
i.	निवासी	पहली बार ₹ 250, दूसरी एवं बाद की बार ₹ 500
ii.	दुकानदार	पहली बार ₹ 500, दूसरी एवं बाद की बार ₹ 1000
iii.	रेस्टोरेंट मालिक	पहली बार ₹ 1000, दूसरी एवं बाद की बार ₹ 2000
iv.	होटल मालिक	पहली बार ₹ 1500, दूसरी एवं बाद की बार ₹ 2500
v.	औद्योगिक प्रतिष्ठान	पहली बार ₹ 3000, दूसरी एवं बाद की बार ₹ 5000
vi.	मिठाई, नाश्ता, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ना जूस एवं अन्य जूस, सब्जी विक्रेता (ठेले)	पहली बार ₹ 250, दूसरी एवं बाद की बार ₹ 500

14. निरसन / विरोधाभास (Repeal/Contradict).—(क) इन उपविधियों के प्रभाव में आने के पश्चात इस विषय से संबंधित नगर निगम बद्दी द्वारा पूर्व में अपनाए गए किसी भी नियम, उपविधि या नीति को निरस्त (अमान्य) माना जाएगा।

(ख) पूर्व में बनाए गए किसी भी नियम / उपविधि के अंतर्गत किए गए कार्य या लागू की गई योजनाओं को तब तक अमान्य नहीं माना जाएगा जब तक वे इन उपविधियों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के पूर्णतः विपरीत या विरोधाभासी न हों।

15. व्याख्या (Interpretation).—यदि किसी प्रावधान की व्याख्या में कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है, तो सक्षम प्राधिकारी (इस मामले में आयुक्त) का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

16. संशोधन एवं निरस्तीकरण (Amendments and Abolishment).—इन उपविधियों में किसी भी प्रकार के संशोधन, जोड़ या विलोपन का निर्णय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार विभिन्न हितधारकों को सम्मिलित किया जाएगा।

———————

Authoritative English Text

MUNICIPAL CORPORATION BADDI

NOTIFICATION

Dated, 23rd May, 2026

No. M.Corp./Baddi/Bye Laws (Door To Door)/2026-(3).—In exercise of the powers conferred by Section 395 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), the Municipal Corporation Baddi hereby proposes to make the following **Door-to-Door Garbage Collection and Disposal Bye-Laws 2026**.

The draft of the said Bye-Laws were published in the Official Gazette *vide* gazette No. 03/GAZETTE/2026, dated 04-04-2026 for inviting objections and suggestions from the general public within a period of thirty (30) days from the date of publication;

And whereas, no objections or suggestions have been received within the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 395 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, the Municipal Corporation Baddi hereby finally publishes and notifies the **Door-to-Door Garbage Collection and Disposal Bye-Laws 2026**.

These Bye-Laws shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

CHAPTER—I
GENERAL

1. Short title and commencement.—(a) These Draft Bye–Laws may be called **Door-to-Door Garbage Collection and Disposal Bye-Laws 2026 of Municipal Corporation Baddi** for Municipal solid waste management & disposal.

(b) These Bye–Laws shall come into force on the date of their adoption and publication in the Rajpatra (e-gazette) of Himachal Pradesh Government.

(c) These shall apply to entire Baddi Municipal Corporation area.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) **"Act"** means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994

(b) **"bulk waste generator"** means and includes buildings occupied by the Central government departments or undertakings, State government departments or undertakings, local bodies, public sector undertakings or private companies, hospitals, nursing homes, schools, colleges, universities, other educational institutions, hostels, hotels, commercial establishments, markets, places of worship, stadia and sports complexes having an average waste generation rate exceeding 100 kg. per day**;**

(c) "**composting"** means a controlled process involving microbial decomposition of organic matter;

(d) "**disposal"** means the final and safe disposal of post processed residual solid waste and inert street sweepings and silt from surface drains on land as specified in Schedule I to prevent contamination of ground water, surface water, ambient air and attraction of animals or birds;

(e) **"domestic hazardous waste"** means discarded paint drums, pesticide cans, CFL bulbs, tube lights, expired medicines, broken mercury thermometers, used batteries, used needles and syringes and contaminated gauge, etc., generated at the household level;

(f) **"door to door garbage collection"** means collection of solid waste from the door step of households, shops, commercial establishments, vehicle showrooms, offices, institutional or any other non-residential premises and includes collection of such waste from entry gate or a designated location on the ground floor in a housing society, multi storied building or apartments, large residential, commercial or institutional complex or premises;

(g) **"dry waste"** means waste other than bio-degradable waste and inert street sweepings and includes recyclable and non-recyclable waste, combustible waste and sanitary Napkin and diapers, etc;

(h) **"dump sites"** means a land utilized by local body for disposal of solid waste without following the principles of sanitary land filling;

(i) **"fine/penalty" means** penalty imposed on waste generators or operators of waste processing and disposal facilities under the bye-laws for non-compliance of the directions contained in these bye-laws;

(j) **"municipality"** means the Municipal Corporation/Municipal Council/ NagarPanchayat of Himachal Pradesh

(k) **"non-biodegradable waste"** means any waste that cannot be degraded by micro-organisms into simpler stable compounds;

(l) **"sanitary land filling"** means the final and safe disposal of residual solid waste and inert wastes on land in a facility designed with protective measures against

pollution of ground water, surface water and fugitive air dust, wind-blown litter, bad odour, fire hazard, animal menace, bird menace, pests or rodents, greenhouse gas emissions, persistent organic pollutants, slope instability and erosion;

(m) **"sanitary waste"** means wastes comprising of used diapers, sanitary towels or napkins, tampons, condoms, incontinence sheets and any other similar waste;

(n) **"schedule"** means the schedule indicating the rate in respect of sign boards.

(o) **"secondary storage"** means the temporary containment of solid waste after collection at secondary waste storage depots or material recovery facility (MRFs) or bins for onward transportation of the waste to the processing or disposal facility;

(p) **"segregation"** means sorting and separate storage of various components of solid waste namely bio-degradable wastes including agriculture and dairy waste, non-biodegradable wastes including recyclable waste, non recyclable combustible waste, sanitary waste and non-recyclable inert waste, domestic hazardous wastes, and construction and demolition wastes;

(q) **"service provider"** means an authority providing public utility services like water, sewerage, electricity, telephone, roads, drainage, etc.

(r) **"user fee/charge"** means a fee imposed by the local body and any entity mentioned in rule on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services;

(s)**"waste picker/waste collector"** means a person or groups of persons informally engaged in collection and recovery of reusable and recyclable solid waste from the source of waste generation the streets, bins, material recovery facilities, processing and waste disposal facilities for sale to recyclers directly or through intermediaries to earn their livelihood;

Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Cess Act, 1977 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981, Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 and Solid Waste Management Rules, 2016 shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts and Rules.

CHAPTER—II
MANAGEMENT OF MUNICIPAL SOLID WASTE

3. Municipal Solid Waste Management.—The Municipal Corporation Baddi shall establish an integrated Solid Waste Management (SWM) system with an aim to reduce the amount of waste being disposed, while maximizing resources, recovery and efficiency. The preferred waste management system shall focus on the following points, namely:—

I. **Reduction and reuse at source.—**The most preferred option for Solid Waste Management shall be prevention of waste generation. It will be helpful in reducing the

handling, treatment, disposal costs and specially reduce various environmental impacts such as leachate, air emissions and generation of greenhouse gases.

II. **Waste recycling.—**Recovery of recyclable material resources through a process of segregation, collection and re-processing to create new products shall be the next preferred alternative.

III. **Composting**.—As far as possible the organic fraction of waste shall be composted and used to improve soil health and agricultural production adhering to norms.

IV. **Waste-to-Energy.—**Where material recovery from waste is not possible, energy recovery from waste through production of heat, electricity or fuel may be preferred. Bio-methanation, waste incineration, production of Refuse Derived Fuel (RDF) and co-processing of the sorted dry rejects from municipal solid waste are to be commonly adopted "Waste to Energy" technologies.

V. **Waste disposal.—**Remaining residual waste, which ideally comprises of inerts, shall be disposed in sanitary landfills constructed in accordance with stipulations of the Solid Waste Management Rules, 2016.

VI. The Integrated Solid Waste Management system shall be environment friendly. Waste minimization, waste recycling, waste-to-energy strategies and landfill gas capture and use which are promoted in the Solid Waste Management Rules, 2016 shall be adopted for reduction of greenhouse gases.

CHAPTER—III
MUNICIPAL SOLID WASTE COLLECTION & TRANSPORTATION

4. Segregation & Primary Storage of Municipal Solid waste.—(a) It will be prime responsibility of every waste generator/citizen to segregate the waste generated by them in three separate streams namely bio-degradable, non-biodegradable and domestic hazardous wastes or otherwise as directed from time to time, in suitable covered bins and handover segregated wastes to authorized waste pickers or waste collectors designated by Municipal Corporation Baddi (MCB) or Agency Hired by MCB once a day or at the frequency as decided by the MCB on the timing fixed. Every citizen has to pay fixed monthly fees for the services of door to door garbage collection.

(b) Waste generators shall be encouraged to segregate waste and store at source in three separate colour bins *i.e.* green-for bio degradable waste, blue-for non-bio degradable, red-for domestic hazardous waste.

(c) All institutions with more than 5,000 sqm. area shall, within one year from the date of notification of these bye laws and in partnership with the Municipal Corporation Baddi, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorized waste pickers or the authorized recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by the Municipal Corporation.

(d) No person shall organize an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating the Municipal Corporation, at least three working days in advance and such person or the organizer of such event shall ensure segregation of waste at source

and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by the Municipal Corporation.

(e) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a newspaper or suitable biodegradable wrapping material and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.

(f) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by the MCB.

(g) Store separately construction and demolition waste, as and when generated, in owner's own premises and dispose off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(h) Bulk waste generators of garden and horticulture waste like park, stadium etc. shall store the waste separately in their premises and dispose of the same as may be prescribed by the Municipal Corporation from time to time.

(i) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with municipal solid waste and such waste generators shall follow the rules separately specified for the purpose.

(j) Every waste generator has to ensure that there is no practice of burning or burying the solid waste generated by him, throwing on streets/open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

(k) Littering of waste on streets/open space/water bodies/drain shall be fined on the spot. On iterative they will be punishable and can be subjected to legal proceedings as per rule.

(l) Time to time awareness generation campaigns should be organized to motivate people. RWA (Resident Welfare Association), Local NGOs, representative of public associations and elected local member should be involved in the programme to motivate citizens.

5. Primary Collection of Municipal Solid Waste.—(a) Each and every house in the city/town should be approached for the primary collection of waste by means of wheel barrow, push cart, tricycle, small auto tipper depending on the size of road available.

(b) Municipal Corporation will have to arrange for daily door to door collection of segregated solid waste from all households including slums and informal settlements, commercial, institutional and other non-residential premises. From multi-storage buildings, large commercial complexes, malls, housing complexes, etc. this may be collected from the entry gate or any other designated location**.**

(c) Municipal Corporation have to establish a system to recognize organizations of waste pickers or informal waste collectors and promote as well as establish a system for integration of these authorized waste-pickers and waste collectors to facilitate their participation in solid waste management including door to door collection of waste;

(d) Municipal Corporation have to facilitate formation of Self Help Groups, provide identity cards and thereafter encourage integration of informal waste pickers in solid waste management including door to door collection of waste.

(e) Municipal Corporation have to collect separately waste from sweeping of streets, lanes and by-lanes daily, or on alternate days or twice a week depending on the density of population, commercial activity and Municipal Corporation local situation.

(f) Municipal Corporation has to collect horticulture, parks and garden waste separately and process in the parks and gardens, as far as possible.

(g) Time for the door to door collection services will be fixed by the Municipal Corporation. Generally timing may be between 6.00 A.M. to 9.00 A.M. For proper waste collection vehicle such as tricycle, auto tipper used for door to door garbage collection should be equipped with Alarm with audible decibel fixed as per the rules and timing should be strictly followed by the sanitation workers.

(h) For door to door garbage collection from commercial complexes, offices and secondary bins timing may be between 9.00 A.M. to 11.00 A.M. or as decided by Municipal Corporation.

(i) Municipal Corporation shall collect the plastic waste separately as per Plastic Waste Management Rules, 2016.

(j) For proper solid waste management & grievance redress Municipal Corporation shall set up an office/centre as per requirement.

(k) Under door to door services user charge for collection should be formulated on the following criteria.—

Sl. No.	Category of User	User Charge on monthly basis (INR)
1.	Household (area less than 2000 sq. feet)	50
2.	Household(area more than 2000 sq.feet)	100
3.	Commercial Complex (Dhaba, sweet shop, coffee houses, provisional stores).	350
4.	Pan Shop	80
5.	Tea Shop	80
6.	Shops (Daily needs, cloths)	100
7.	Vegetables & fruits shops (Wholesale)	1000
8.	Vegetables & fruits shops (Retails)	250
9.	Sweet/snacks shop (Big)	400
10.	Offices (2 rooms)	100
11.	Offices (3—5 rooms)	250
12.	Offices (6—10 rooms)	1000
13.	Offices (11—20 rooms)	2000
14.	Offices (more than 20 rooms)	2000 for 20 rooms +100 per additional room.
15.	Bank Bank Floor Area > 1000 sq. feet	500 750
16.	Govt. Schools	100
17.	Private Schools upto 100 students on producing student's enrolment certificate.	500
18.	Private Schools (more than100 students)	1500
19.	Bakeries (small)	500
20.	Bakeries (manufacturing units)	1200
21.	PG Hostel/ Guest House (upto10 rooms)	500

22.	PG Hostel/Guest House (11—20 rooms)	1500
23.	PG Hostel/Guest House (21—30 rooms)	2500
24.	PG Hostel/Guest House (more 30 rooms)	2500 for 30 rooms+50 per additional room.
25.	Dharamsala	550
26.	Workshop (Tyre puncture shop)	100
27.	Workshop (repair shop)	250
28.	Workshop (repair + spare parts shop)	500
29.	Workshop (vehicle showroom, repair + spare parts)	750
30.	Vehicle Show room	600
31.	Workshop (those not touching any NH or SH)	300
32.	Restaurants	1500
33.	Restaurants + Bar	1700
34.	Cinema Hall (Theatre, multiple)	1500
35.	Govt. College	1000
36.	Private College	1500
37.	Hospital/Nursing Home(upto 50 beds)	1500
38.	Hospital/ Nursing Home (51-100 beds)	2000
39.	Hospital/Nursing Home (more than 100 beds)	2000+250 per additional bed.
40.	Clinics	500
41.	Clinics with medicine shops	1000
42.	Chemist shop	200
43.	Laboratory	200
44.	Banquet Hall/ Hotel	2000 & 2000 per trip on demand.
45.	Special Hotels more than 50 Rooms	15000 & 2000 per trip on demand.
46.	Vehicle on demand for Dumper	3000 per trip
47.	Big Malls	2000 per floor
48.	Meat Shops (other than subscribed with chicken waste collection vehicle).	500
49.	Confectionary + Veg.Shop	250
50.	Scrap Dealers	400
51.	Street Vendor	100
52.	Cow Dung from cattle at households	350
53.	Salons	750
54.	Big Cloth Shops	1000
55.	Any other establishment(s) not mentioned above	To be decided by Municipal Corporation Baddi.

Note.—User charge as prescribed above can be revised by the Municipal Corporation from time to time keeping in view the polluter pay principle to meet the operation and maintenance cost of the services under Solid waste management.

(a) User charge mentioned above for door to door services needs to be collected from each and every household & other establishment of all the wards in the municipal boundaries of the MCB. User charge decided above, contact person's name & number needs to be conveyed to general public through different media such as display on the vehicles used for these services, hoardings, pamphlets etc. Also, awareness generation campaigns need to be organized.

(b) No manual loading or unloading of waste in compactor should be practiced with open hand or without safety measure as per the Solid Waste Management Rules, 2016.

6. Secondary Storage of Municipal Solid Waste.—(a) As far as possible the Municipal Corporation Baddi will work towards developing bins free solid waste management facility for Baddi Municipality and for this purpose 100% waste collection from the doorstep of the generator shall be done.

(b) However in areas where the population density is low and/or the viability of 100 % door to door is low the Municipal Corporation, Baddi by it's own or with help of Agency hired shall develop storage bins/secondary storage points for the collection of waste generated in the town. It will also be responsible to monitor the condition of these bins, so that no filthy or unhygienic condition develops around. While establishing or monitoring secondary storage bins following precautions needs to be taken care.—

i. Storage/Secondary storage bins should be designed and developed on the basis of the quantity of waste generated, density of population in the notified municipal boundaries. Minimum distance between two bins should be 500 meters. Established bins must be covered with movable lid and must be approachable/ connected with metallic or non-metallic road.

ii. Bins provided by Municipal Corporation or any hired agency should be designed in such a manner so that waste disposed in does not get scattered in open atmosphere and it should be artistic in nature so that it motivates people to dispose their waste in the bins and not in open.

iii. Bins placed at designated place by Municipal Corporation or any hired agency should motivate people to practice waste segregation and it should be placed as per Solid Waste Management Rules, 2016 having color coding for different types of waste.

Green : Bio degradable waste (Food Waste, Garden Waste)
Blue : Non-Biodegradable waste
Red : Hazardous or toxic waste

iv. Well-designed Vehicle like auto Tipper/Compactor should be used for the purpose of transportation of waste and evacuating the bins.

(c) All the co-operative societies, residential welfare associations/societies, institutional organization will be responsible to place suitable quantity of bins approved by the Municipal Corporation on the fixed place in their compound so that waste generated from there can be stored properly and collected from time to time by the municipal vehicle. User charge for these services fixed by the Municipal Corporation should be collected by the authorized person of local body.

(d) It will be prime responsibility of all the waste generators/citizens to store and sell/handover the recyclable waste to the Rag-pickers/ Kabadiwala or person/organization designated by the Municipal Corporation. They have to ensure that no such waste is being disposed on the road/drain/ bins/ open space.

(e) Door to door garbage collection, bins, collection & transportation, processing of waste and disposal of waste in sanitary landfill site; all these services will be provided by Municipal Corporation or any hired agency. MCB will charge user fee for all these services and violator will be fined on the spot or can be subjected to legal proceedings as per rules.

(f) Waste from the slaughter house, fish market, fruit & vegetable market is biodegradable in nature, so proper storage facility should be designed so that no health hazard spreads from this & facility for composting should be developed to make use of such waste in generating organic manure from it. For ensuring proper disposal of such waste every generator has to ensure that the waste is segregated and stored in a proper facility. Door to door collection should be practiced to collect 100% of such waste and taken to the processing plant. On violation, waste generator should be fined on the spot or punished and can be subjected to legal proceedings as per rules.

(g) Municipal Corporation has to establish waste deposition centers for domestic hazardous waste and give direction for waste generators to deposit domestic hazardous wastes at this centre for its safe disposal. Such facility shall be established in such manner that one centre is set up for the area of twenty square kilometres or part thereof and notify the timings of receiving domestic hazardous waste at such centres.

(h) Bio-medical & industrial waste should not be mixed with municipal waste and such waste should be stored and disposed separately as per the rules applicable. For the disposal of bio-medical waste common Bio-medical Waste treatment facility (CBMWTF) should be developed either separately or on the cluster basis. By paying the fixed user fee such waste can be easily disposed off.

(i) Construction and demolition waste should be stored separately as and when generated, in owner's own premises and shall be disposed off as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016. The Municipal Corporation shall fix user charge for transportation and disposal of C&D waste and generator should dispose this waste by paying the charge as per the rules and at the designated place. Disposing of such waste in open space, roadside, commonplace will be treated as illegal and fined as per the rules.

(j) Gardening/Horticultural waste should also be stored separated at source. The Municipal Corporation should fix a day or two in week and some place where generator should give their waste and from there it should be transported to disposal site.

(k) Dry leaves, plastic and other such waste should not be burnt in open; doing such activity will be treated as illegal and punishable. Violator shall be fined as per the rules.

(l) Stray animals should be restricted from roaming in and around the waste disposal site & secondary storage bins or any public place in the town.

(m) Every citizen, institutions, office buildings, commercial complexes has to ensure that there is no open discharge of grey water, black water or any other such polluted water in drain, open space or on road which can spread health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(n) No person should dispose dead animal or any such material in open space, road side, community park or any other place which can spread pollution and health issues, doing such activity will be treated as illegal and punishable as per the rules.

(o) Municipal Corporation shall set up covered secondary storage facility for temporary storage of street sweepings and silt removed from surface drains. In cases where direct collection of such waste into transportation vehicle is not convenient waste so collected shall be collected and disposed off at regular intervals as decided by the local body.

7. Secondary Collection & Transportation of Municipal Solid Waste.—(a) Each storage bins/secondary storage bins should be attended daily by the help of auto tipper, tractor, compactor etc.

(b) Closed compartmentalized vehicle with partition for dry and wet waste should be used for the transportation of waste. To reduce the frequency of loading and unloading of waste compactor should be used.

(c) Municipal Corporation will have to ensure safe storage and transportation of the domestic hazardous waste to the hazardous waste disposal facility.

(d) Transport segregated bio-degradable waste to the processing facilities like compost plant, bio-methanation plant or any such facility. Preference shall be given for onsite processing of such waste.

(e) Transport non-bio-degradable waste to the respective processing facility or material recovery facilities or secondary storage facility. Ensure transportation of construction and demolition waste as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

CHAPTER—IV
MUNICIPAL SOLID WASTE PROCESSING & DISPOSAL

8. Waste Processing Plant.—Municipal Corporation with the help of State Pollution Control Board approval needs to develop solid waste management/processing plant to make use of daily generated bio degradable waste so that it can reduce the quantity of waste being disposed at the sanitary land fill site.—

(a) Municipal Corporation have to collect waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market on day to day basis and promote setting up of decentralized compost plant or bio-methanation plant at suitable locations in the markets or in the vicinity of markets ensuring hygienic conditions. Involve communities in waste management and promotion of home composting, bio-gas generation, decentralized processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.

(b) For processing of bio degradable waste Municipal Corporation have to establish waste processing plant such as composting plant–windrow compost plant, vermin composting plant, waste to energy or any other such technology by their own or with help of any other licensed company/firm/organization on Build–operate-transfer(BOT)/object oriented (OO) method.

(c) For processing of mixed recyclable waste Municipal Corporation have to establish recycling unit such as incineration, RDF Plant or other such recycling technology by their own or with help of any other licensed company/firm/organization on Build–operate-transfer (BOT)/object oriented (OO) method.

(d) The Municipal Corporation may also send the non-bio degradable/dry waste as RDF to nearby cement factories for co-processing.

9. Waste Disposal.—(a) Municipal Corporation have to stop land filling or dumping of mixed waste soon after the timeline for setting up and operationalisation of sanitary landfill is over.

(b) Municipal Corporation have to allow only the non-usable, non- recyclable, non-biodegradable, non-combustible and non-reactive inert waste and pre-processing rejects and residues from waste processing facilities to go to sanitary landfill.

(c) Sites shall meet the specifications as given in Schedule–I of Solid Waste Management Rules, 2016, however, every effort shall be made to recycle or reuse the rejects to achieve the desired objective of zero waste going to landfill.

(d) Municipal Corporation have to investigate and analyze all old open dumpsites and existing operational dumpsites for their potential of bio-mining and bio-remediation and wheresoever's feasible, take necessary actions to bio-mine or bio-remediate the sites.

(e) Municipal Corporation have to ensure that in absence of the potential of bio-mining and bio-remediation of dumpsite, it shall be scientifically capped as per landfill capping norms to prevent further damage to the environment.

CHAPTER—V
MONITORING BY WARD COMMITTEE

10. Constitution of Ward Sanitation Committee.—A Ward Sanitation Committee shall be constituted in each ward of the Municipal Corporation. The Ward Sanitation Committee shall have 11 to 15 members. The members of the WSC would comprise of ward member, sanitary inspector, tax collector or a designated officer by Municipal Corporation for each ward, representatives of Residential Welfare Associations (RWAs) of the ward, representatives from slum sanitation committee, representatives of Community Based Organizations (SHGs, youth club etc.), local leaders, senior citizens etc. The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation activity in the ward.

CHAPTER—VI

STAKEHOLDER'S RESPONSIBILITIES

11. Responsibilities of various stakeholders.—(a) Responsibilities of Waste Generators.—

i. No waste generator shall throw the waste generated by him on the street, open spaces, drain or water bodies.

ii. No person shall let the dirty water, mud, night soil, cow dung, urine, polluted water from their own house, organization, commercial establishments to accumulate in their own compound nor let it flow on common streets in a way that the environment gets polluted by foul smell or poses a threat to public health.

iii. To wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-bio degradable waste.

iv. All citizens shall have the responsibility to dispose of the recyclable waste generated in their complexes to the waste pickers authorised by the Municipal

Corporation or waste collector or containers of the Municipal Corporation and not put it on the road under any circumstances.

v. All waste generators shall pay user fees as specified in these Bye-laws

vi. No waste generator shall throw, burn or bury the solid waste generated by him on streets, open public spaces outside his premises or in the drain or water bodies.

vii. No dead animals or their remains to be thrown in any public places or any such place, which create any kind of pollution.

viii. If any person is found violating activities prohibited for doing, fine charges shall be collected from the offender by the Municipal Corporation.

(b) Responsibility of Ward Sanitation Committee:

i. The Ward Sanitation Committee shall oversee the sanitation and cleanliness activities in ward.

ii. The Ward Sanitation Committee shall act as a grievances redressal point on sanitation issues at ward level.

iii. The Ward Sanitation Committee shall have the power to impose fine on any offender.

iv. The Ward Sanitation Committee shall promote home composting, bio-gas generation, decentralized processing of waste at community level subject to control of odour and maintenance of hygiene around the facility.

v. The Ward Sanitation Committee shall give warning to any offenders of these Bye-laws. After two warning by the Ward Sanitation Committee or the Municipal Corporation, penalty shall be collected from the violator as per the provisions of these bye-laws.

(c) Responsibility of the Municipal Corporation:

i. The Municipal Corporation Baddi shall within its territorial area, be responsible for ensuring daily and throughout the year system of cleaning of all common roads, places, temporary settlements, slums, areas, markets, its own parks, gardens, tourist spots, cemeteries and shall be bound to collect the garbage from the nearest declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which the municipal authority may engage private parties on contractor Public Private Partnership mode, apart from its own permanent cleaning staff and vehicles.

ii. The Municipal Corporation or the authorized agency engaged by the Municipal Corporation shall provide and maintain suitable community bins on public roads or other public spaces.

iii. The Municipal Corporation for the purpose of managing such sanitation activities in decentralized and regular manner shall designate one ward officer, in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or

urinals in public places, transfer station for public garbage, landfill processing units etc. for final disposal of city's garbage.

iv. The designated ward officer shall also be a member of the concerned Ward Sanitation Committee which shall act as the first point of grievance redressal on sanitation issues of the concerned ward and meet complains of citizens on issues of sanitation.

v. The Municipal Corporation shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or through any agency for optimum utilization of various components of solid waste adopting suitable technology including the technologies and the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central or State Pollution Control Board.

vi. The Municipal Corporation shall create awareness through Information, Education and communication (IEC) campaign and educate the waste generators on minimal generation of waste, not to litter, re-use the waste to the extent possible, practice segregation of wet bio-degradable waste, dry recyclable and combustible waste and domestic hazardous waste at source, wrap securely used sanitary waste as and when generated in a newspaper or suitable bio-degradable wrapping material and place the same in the domestic bin meant for non-bio degradable waste, storage of segregated waste at source and payment of monthly user fee.

vii. Chemical fertilizers shall be replaced by use of compost in all parks, gardens maintained by the Municipal Corporation and any other places within two years of notification.

viii. Promote recycling initiatives by informal waste recycling sector

ix. The Municipal Corporation shall make efforts to streamline and formalize Solid Waste Management systems and endeavor that the informal sector workers in waste management (rag pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of Solid Waste Management in cities.

x. Ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.

xi. Ensure occupational safety of the Municipal Corporation own staff and staff of outsource agency involved in collection, transport and handling waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments.

xii. In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer-in-charge of the facility shall report to the Commissioner, Municipal Corporation, Baddi immediately who shall review and issue instructions if any, to the in-charge ofthe facility.

CHAPTER—VII

PROSECUTION & PENALTIES

12. Prosecution.—(a) Prosecution can be made on violation of above said rules Under Municipal Solid Waste Management rules, 2016, Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 and Environmental Protection Act, 1986. Even the prosecution can be made on the official/workers responsible for implementing so called services under the above said Bye-laws if they are not performing their task or delaying their responsibility to implement the services.

(b) Whosoever contravenes any of the provision of above said Bye-laws shall in addition to the penalties already mentioned under any Act/rules/laws/bye–laws for time being in force, would be liable for disconnection of water supply, electricity and other civic amenities and the Commissioner of the Municipal Corporation, Baddi may request the competent authorities to withdraw any other services if granted in favor of Household/Institution/Commercial Establishment/ person committing the offence.

13. Penalties.—On the violation of above said municipal Bye-laws fixed penalties are as below :—

Sl. No	Offence	Penalty
1.	Littering by People of residential colony	Rs. 500 per day
2.	Open dumping by shop keepers	Rs. 1000 per day
3.	Littering/open dumping by restaurant owners	Rs. 2000 per day
4.	Littering/open dumping by Hotel Owners	Rs.2000 per day
5.	Littering/open dumping by Industries	Rs.5000 per day
6.	Littering/open dumping by Street Vendor like fast-food, chat, ice-cream, juice corner etc.	Rs. 250 per day
7.	Open defecation/urination in public place	Rs. 500 per offence committed.
8.	Disposal of dung in open space/public place	Rs. 2000 per day
9.	Disposal of construction & demolition waste in open space/ road side/public place by resident.	Rs. 2000 per day
10.	Littering of waste like dung, construction & demolition waste on road while transporting through private tractor/vehicle.	Rs. 2000 per day
11.	Disposal of waste water from house in non-authorized place	Rs. 2000 per day
12.	Disposal of sewer in non-authorised place	Rs. 5000 per day
13.	Not keeping of closed dust bins in adequate number & quantity by owners mention from Sl. No. 2—6.	Rs. 5000 per day
14.	Spilling of Oil, Dust, water & other material by road side Motor, Bike, Bicycle repair mechanics.	Rs.1000 per day
15.	Disposal of Skin, feather, blood, flesh or any other material of animal(s) by shopkeeper.	Rs. 2000 per day
16.	Littering by pet animals like dogs, cow, etc. on road side/ open space/community place.	Rs.1000 per day
17.	Littering or disposal of waste in front of Marriage hall, community place, exhibition hall, Mela ground.	Rs.5000 per day
18.	Encroachment of Road by Dhabas or any other such shop and disposing of waste on road side, open space.	Rs.1000 per day
19.	Encroachment of Road by fruit, vegetable local vendor and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 250 per day

20.	Encroachment of Road Hair cutting salon and disposing of waste on road side, open space.	Rs. 250 per day
21.	Encroachment & Disposal of construction & demolition waste in open space/road side/public place by Business man, shop keepers.	Rs. 5000 per day
22.	Disposal of waste by Private Nursing home/ hospital, Clinics, Dispensaries on road side, open space	Rs. 5000 per day
23.	Non-Segregation of waste at source	
i.	Residents	Rs. 250 for first offence and Rs. 500 for second & subsequent offences in a month.
ii.	Shopkeepers	Rs. 500 for first offence and Rs. 1000 for second & subsequent offences in a month.
iii.	Restaurants owners	Rs. 1000 for first offence and Rs. 2000 for subsequent offences & subsequent offences ina month.
iv.	Hotel Owners	Rs. 1500 for first offence and Rs. 2500 for subsequent offences & subsequent offences ina month.
v.	Industrial Establishment	Rs. 3000 for first offence and Rs. 5000 for subsequent offences & subsequent offences ina month.
vi.	Sweets, snacks, fast food. Ice-creams, sugarcane & other juice and vegetables vendor carts.	Rs. 250 for first offence and Rs. 500 for second & subsequent offences in a month.

14. Repeal/Contradict.—(a) Once these bye-laws come into force any other rules, bye-laws, policy with regard to this matter adopted by Municipal Corporation, Baddi will be considered as disaffirm.

(b) Any work done or scheme implemented under any previous rules/bye-laws will not be impugned unless until it is just opposite or completely contrary to the action to be taken under the above said bye-laws.

15. Interpretation.—In case of any ambiguity in interpretation, orders of the competent authority (Commissioner, in this case will be final).

16. Amendments and Abolishment.—Any amendments to these laws additions or deletions if any will be decided by a committee to be headed by the Commissioner including stakeholders as he/she may deem fit for the purpose.

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 मई, 2026

संख्याः टीपीटी–ए (3)–8 / 2022.––भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 48(अ), तारीख 20–01–2026 के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 21, नियम 167 और नियम 167क में संशोधन अधिसूचित किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ चालानों को जारी करने, न्यायनिर्णयन और निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया है;

और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 167 का उप–नियम (5) राज्य सरकार को उस प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है जिसके समक्ष चालानों को चुनौती दी जा सकती है और उनका न्यायनिर्णयन किया जा सकता है, तथा हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चालानों के न्यायनिर्णयन और निपटान के लिए एक संरचित और कानूनी रूप से टिकाऊ तंत्र सुनिश्चित करना आवश्यक समझा गया है;

अतः अब, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमावली के नियम 167 के उप–नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिसूचना के साथ पठित, और इस संबंध में जारी किए गए सभी पिछले आदेशों / निर्देशों के अधिलंघन में, निम्नलिखित अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चालानों के न्यायनिर्णयन और निपटान के लिए निवारण प्राधिकारी के रूप में नामित करते हैं, अर्थातः–

क्रम संख्या	शमन प्राधिकारी	निवारण प्राधिकारी
1.	अधीक्षक ग्रेड–।।/ए.आर.टी.ओ./यातायात निरीक्षक/मोटर यान निरीक्षक/वरिष्ठ मोटर यान निरीक्षक	संबद्ध आर.टी.ओ. अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर।
2.	उप–निदेशक परिवहन/आर.एल.ए./आर.टी.ओ./आर.टी.ओ. फ्लाइंग स्क्वॉड/सहायक आयुक्त (तकनीकी) /अधीक्षक ग्रेड–।.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण–एवं–अपर परिवहन आयुक्त।
3.	सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण/अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त परिवहन	निदेशक, परिवहन
4.	निदेशक, परिवहन	अतिरिक्त मुख्य सचिव /प्रधान सचिव /सचिव (परिवहन), हिमाचल प्रदेश सरकार।

निवारण प्राधिकारी, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 167 और कानून के अन्य लागू प्रावधानों के कड़ाई से अनुपालन में चालानों का न्यायनिर्णयन करेंगे, और पारित किए गए समस्त आदेश सकारण और सुस्पष्ट होंगे, जिन्हें विधिवत लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा। सभी कार्यवाहियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा, और संबंधित प्राधिकारी द्वारा ऐसी कार्यवाहियों का उचित डिजिटल और भौतिक रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा।

यह अधिसूचना राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/–
(आर.ड़ी.नज़ीम),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TPT-A(3)-8/2022, dated 23-05-2026 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd May, 2026

File No.TPT-A(3)-8/2022.—Whereas, the Government of India, Ministry of Road Transport and Highways, has notified amendments to rule 21, rule 167 and rule 167A of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 *vide* GSR 48(E), dated 20-01-2026, *inter alia,* providing for a mechanism for issuance, adjudication and redressal of challans;

And whereas, sub-rule (5) of Rule 167 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules) empowers the State Government to specify the authority before whom challans may be contested and adjudicated, and it is considered necessary to ensure a structured and legally sustainable mechanism for adjudication and disposal of challans issued by Enforcement Officers within the State of Himachal Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 167 of the said rules, read with the aforesaid notification, and in supersession of all previous orders/instructions issued in this regard, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the following officers as Redressal Authorities for adjudication and disposal of challans issued by Enforcement Officers of the Transport Department within the State of Himachal Pradesh, namely:—

Sl. No.	Compounding Authority	Redressal Authority
1.	Superintendent Gr-II/ ARTO / Traffic Inspector /Motor Vehicles Inspectors/Sr. Motor Vehicles Inspectors.	Concerned RTO with in their respective jurisdiction.
2.	Deputy Director Transport/RLA/RTO/RTO Flying Squads/ Assistant Commissioner (Tech.)/Supdt. Gr-I	Secretary, State Transport Authority-*cum*-Addl. Commissioner Transport
3.	Secretary, State Transport Authority/Additional/Joint Commissioner Transport.	Director, Transport
4.	Director, Transport	Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh.

The Redressal Authorities shall adjudicate challans strictly in accordance with Rule 167 of the said rules and other applicable provisions of law, and all orders passed shall be reasoned and speaking orders, duly recorded in writing. The principles of natural justice shall be adhered to in all proceedings, and proper digital as well as physical records of such proceedings shall be maintained by the concerned authority.

This notification shall come into force from the date of publication in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

By order
R.D. NAZEEM
Additional Chief Secretary (Transport).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub- Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)**

1. Sh. Rajinder Singh s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Tarkwari, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur 71 years old.

2. Leela Devi d/o Sh. Bhandari Lal, V.P.O. Khuthrin, Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur 68 years old.

Versus

General Public

Sh. Rajinder singh s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Tarkwari, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur 71 years old & Leela Devi d/o Sh. Bhandari Lal, V.P.O. Khuthrin,Tehsil Bhoranj, Distt. Hamirpur 68 years old have filed an application alongwith affidavits in the court under Section 16 of special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage laws amendment by Act 01(49 of 2001,) that they have solemnized their marriage ceremony on dated 05-02-1979 at Village Tarkwari, P.O. Tarwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage, can file the objections personally or in writing before this court on or before 04-06-2026. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-05-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage Officer-cum-
Sub-Division Magistrate,
Bhoranj, Distt. Hamirpur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

चंपा देवी पुत्री सन्त राम, वासी गांव सियोटी खुर्द, डाकघर पाईसा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1966.

प्रार्थिया चंपा देवी पुत्री सन्त राम, वासी गांव सियोटी खुर्द, डाकघर पाईसा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 02–09–1951 है के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में

आवेदन किया है, जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

पृथी चन्द पुत्र गुलाबू राम, वासी गांव हार, डाकघर नैहरन पुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1966.

प्रार्थी पृथी चन्द पुत्र गुलाबू राम, वासी गांव हार, डाकघर नैहरन पुखर, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी माता श्रीमती कागदू देवी की मृत्यु तिथि जोकि 15–02–1993 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है, जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थी की माता श्रीमती कागदू देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थी की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 820497 / 2026 किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण तारीख पेशी : 11–06–2026

अनीता देवी पुत्री श्री भोंठू राम, गांव व डाकघर लोअर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) कि तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

अनीता देवी पुत्री श्री भोंठू राम, गांव व डाकघर लोअर लम्वागांव , तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय बयान हल्फी पेश किया व आवदन किया कि मेरा जन्म 06–10–1973 को गांव व डाकघर लोअर लम्वागांव, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। ग्राम पंचायत लम्वागांव में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश मेरे जन्म का पंजीकरण मेरे घरवालो व किसी भी परिवार के सदस्य ने जन्म का पंजीकरण ग्राम पंचायत लम्वागांव के अभिलेख में दर्ज नहीं करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत लम्वागांव को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया अनीता देवी पुत्री श्री भोंठू राम, गांव व डाकघर लोअर लम्वागांव , तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के जन्म दिनांक 06–10–1973 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 11–06–2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व जन्म पंजीकरण करने के आदेश उप स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत लम्वागांव को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 15–05–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)

श्रीमती टुली देवी पुत्री श्री सजे राम, निवासी गांव झौलिंग, डाकघर थिरोट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरगाह आम को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्रीमती टुली देवी पुत्री श्री सजे राम, निवासी गांव झौलिंग, डाकघर थिरोट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र जिला रजिस्ट्रार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला लाहौल एवं स्पीति स्थित केलांग को इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की जन्म तिथि 20–02–1954 का पंजीकरण ग्राम पंचायत थिरोट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया उपरोक्त जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत थिरोट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है। उक्त प्रार्थना–पत्र जिला रजिस्ट्रार द्वारा इस न्यायालय को आगामी कार्यावाही हेतु प्रेषित किया है।

अतः आम जनता को बजिरया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया श्रीमती टुली देवी पुत्री श्री सजे राम, निवासी गांव झौलिंग, डाकघर थिरोट, उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पीति (हि0प्र0) की जन्म तिथि 20–02–1954 का पंजीकरण ग्राम पंचायत थिरोट के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन होने के एक महीने के भीतर अदालत हजा मे हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद

कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त टुली देवी की जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नही है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, उदयपुर,
उप–तहसील उदयपुर, जिला लाहौल स्पीति (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भू–व्यवस्था वृत्त, जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 23 / 24 तारीख दायर : 04–09–2024

अजय भगत पुत्र श्रीमती निरूपमा, पुत्री जगरनाथ, निवासी महाल भजराला, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

1. रमेश कुमार पुत्र श्री रामरथ, पुत्र सुदामा, 2. श्रीमती शकुन्तला देवी पुत्री श्री रामरथ, पुत्र सुदामा, 3. श्रीमती सरला देवी पुत्री श्री रामरथ, पुत्र सुदामा, 4. श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्री रामरथ, पुत्र सुदामा, 5. श्रीमती बबली देवी पुत्री श्री रामरथ, पुत्र सुदामा, 6. श्रीमती निर्वला देवी पुत्री श्री रामरथ, पुत्र सुदामा व श्रीमती जानकी पत्नी रामरथ, 7. बुध्दि सिंह पुत्र बहादुर सिंह पुत्र रामरथ, 8. शक्ति सिंह दतक पुत्र सरवन कुमार, पुत्र शंकर (व पुत्र सुदामा) 9. श्रीमती निर्मला देवी पत्नी भवानी पुत्र शंकर, 10. बहादुर सिंह पुत्र रामरथ, पुत्र सुदामा, 11. पुन्नु राम पुत्र श्रीमती सत्या पुत्री सुदामा, 12. कृष्ण सिंह पुत्र श्रीमती सत्या पुत्री सुदामा, निवासी गांव व डाकघर भराडू, तहसील जोगिन्द्र नगर, 13. राहुल पुत्र रवि कुमार, पुत्र किरपू, 14. राखी पुत्री रवि कुमार, पुत्र किरपू, 15. भीम सिंह पुत्र मंगतू, पुत्र चौधरी, 16. राजकुमार पुत्र गरीब सिंह, पुत्र मंगतू, 17. अंशु पुत्री रवि कुमार, पुत्र गोविन्द राम, 18. ईशा पुत्री रवि कुमार, पुत्र गोविन्द राम, 19. श्रीमती केसरा पुत्री शंकर, पुत्र सिधु, 20. श्रीमती कान्ती पुत्री शंकर, पुत्र सिधु, 21. श्रीमती ब्रह्मी पुत्री शंकर, पुत्र सिधु, 22. श्रीमती धनी पुत्री शंकर, पुत्र सिधु, 23. श्रीमती भिंगा पुत्री शंकर, पुत्र सिधु, 24. श्रीमती पुन्नी पुत्री शंकर, पुत्र सिधु, 25 गोविन्द राम पुत्र बूटा राम, 26. पंचम मेहरा पुत्र बहादुर सिंह पुत्र रामरथ, 27. अकशु पुत्र रजनी देवी, पुत्र मेहर चन्द, 28. मधु बलवानी पुत्री सुरेश कुमार, पुत्र तुलसी राम, निवासी धानग, तहसील बैजनाथ, 29. अनिल कुमार पुत्र सन्नो देवी, पुत्री गोविन्द राम, 30. अरूण कुमार पुत्र सन्नो देवी, पुत्री गोविन्द राम, दोनों निवासी पेटू (भराडू), तहसील जोगिन्द्र नगर, 31. श्रीमती मीरा देवी पुत्री गोविन्द राम, पुत्र शंकर सभी निवासी महाल भजराला, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)। 32. सरकार हिमाचल प्रदेश (लोक निर्माण विभाग)।
..... प्रतिवादीगण।

विषय .– जेरधारा 123 हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खाता / खतौनी 17 / 24–26 कित्ता 45 रकबा तादादी 64–02–04 बीघा स्थित महाल भजराला, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी के विभाजन बारे।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अजय भगत पुत्र श्रीमती निरूपमा पुत्री जगरनाथ, निवासी महाल भजराला, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) द्वारा खाता / खतौनी 17 / 24–26 कित्ता 45 रकबा तादादी 64–02–04 बीघा स्थित महाल भजराला, तहसील जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी के विभाजन बारे आवेदित प्रार्थना–पत्र इस अदालत में विचारधीन है प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई के दौरान पाया गया कि प्रतिवादीगण में से कुछ प्रतिवादीगण को साधारण ढंग से समन की तामील होना नहीं पाया जा रहा है अतः

अब इस अखबारी इश्तहार द्वारा उक्त प्रतिवादीगण को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 19–06–2026 को प्रातः 10.00 बजे अपना पक्ष रखने हेतु असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आवे गैरहाजिरी की सूरत मे एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आज दिनांक 12–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
वृत्त जोगिन्द्र नगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या :	किस्म मुकद्दमा :	तारीख दायर :	तरीख फैसला :
820636 / 2026	दुरुस्ती इन्द्राज	02–04–2026	

मुकद्दमा शीर्ष : अमर सिंह पुत्र श्री बुला राम, निवासी गांव चून्जा, डा0 देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0)

.. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.–राजस्व माल कागजात में हि0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 की जेर धार 37 के तहत दुरुस्त इन्द्राज बारे।

अमर सिंह पुत्र श्री बुला राम, निवासी गांव चून्जा, डा0 देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0) ने दरख्वास्त जेर धारा 37 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन आनलाइन के माध्यम से प्रेषित कर निवेदन किया है कि वादी का नाम मोहाल चून्जा एवं नरोला के राजस्व कागजात में उबा सिंह पुत्र बुला पुत्र चन्गा जोकि गलत दर्ज हुआ है के स्थान पर असल नाम मुताबिक दस्तावेजों में अमर सिंह पुत्र बुला पुत्र चन्गा दुरुस्त किया जावे मिसल अवलोकन किया गया, मिसल में संलग्न सभी दस्तावेज सही पाए गए और मिसल स्वीकार किया गया जो मिसल संख्या 820636 / 2026 दिनांक 02–04–2026 आनलाइन आर0एम0एस0 पोर्टल में पंजीकृत है।

उपरोक्त दरख्वास्त मौका छानबीन हेतु क्षेत्रीय कानूनगो कुमसू को आनलाईन के माध्यम से भेजी गई और मौका छानबीन रिपोर्ट क्षेत्रीय इकाइयों के आनलाइन प्राप्त हुई है जिसके अवलोकन में पाया कि जमाबंदी वर्ष 2023–24 महाल चून्जा में अराजी खेवट नम्बरान 30, 31 व जमाबंदी वर्ष 2022–23 महाल नरोला में अराजी खेवट नम्बरान 17, 19 में क्रमशः उवा सिंह व उबा सिंह दर्ज है। बाद अवलोकन आधार कार्ड, परिवार नकल, पैन कार्ड में यह पाया कि सायल का नाम अमर सिंह पुत्र बुला राम दर्ज है। जिस सन्दर्भ में मौके पर हाजिर चन गाशिंदगान देह से ब्यान लिया गया व पाया कि सायल का असल नाम अमर सिंह है परन्तु महाल चून्जा व महाल नरोला के माल कागजात में क्रमशः उवा सिंह व उबा सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है। अतः सायल का नाम उवा सिंह व उबा सिंह के स्थान पर अमर सिंह पुत्र बुला माल कागजात में दुरुस्त होना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धित रिश्तेदारों को वादी अमर सिंह पुत्र श्री बुला निवासी गांव चून्जा, डा0 देलठ, तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0प्र0) का नाम राजस्व कागजात मोहाल चून्जा में

उवा सिंह व मोहाल नरोला में उबा सिंह के स्थान पर अमर सिंह पुत्र बुला दुरुस्त करने बारे कोई भी उजर / एतराज हो तो वह आगामी तारीख पेशी मिति 23–06–2026 को अदालत हजा में असालतन / वकालतन हाजिर होकर अपना उजर / एतराज प्रस्तुत कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत हजा से आज दिनांक 19–05–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री शैलेन्द्र पुत्र श्री हरी शंकर, ग्राम व डाकघर नेरवा, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. नगर पंचायत नेरवा।

2. आम जनता।

Application for registration of marriage under the Himachal Pradesh of marriage Act, 1996.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शैलेन्द्र पुत्र श्री हरी शंकर, ग्राम व डाकघर नेरवा, तहसील नेरवा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने उपायुक्त महोदय शिमला के माध्यम से इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उनका विवाह श्रीमती मीना गुप्ता पुत्री अशोक कुमार, निवासी राजपाल ढारा, नजदीक अम्बेडकर भवन, कृष्णा नगर शिमला (U) जिला शिमला, हि0प्र0 के साथ महालक्ष्मी नारायण मंदिर संजौली में दिनांक 04–12–2014 को संपन्न हुआ। शैलेन्द्र को विवाह पंजीकरण की जानकारी न होने के कारण निर्धारित समय पर विवाह पंचायत में पंजीकृत न करा सका। प्रार्थी अपना विवाह नगर पंचायत नेरवा में पंजीकृत करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थना–पत्र के साथ नकल परिवार रजिस्टर व शपथ–पत्र की छायाप्रति संलग्न की है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को परिवार रजिस्टर नगर पंचायत नेरवा, में शैलेन्द्र के विवाह पंजीकृत करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 18–06–2026 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सुरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करे। दिगर सुरत में शैलेन्द्र पुत्र श्री हरी शंकर का विवाह मीना गुप्ता पुत्री अशोक कुमार का विवाह पंजीकृत करने हेतु आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

In the Court of Sh. Mast Ram Bhardwaj, Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Smt. Anti Devi w/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Shyampur Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for correction of name and date of birth of applicant in her Aadhar Card.

Whereas, Smt. Anti Devi w/o Sh. Sukh Ram, r/o Village Shyampur Gorkhuwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh has filed an application alongwith copy of an affidavit, copy of her panchayat register in the court of the undersinghed for updation of her name and date of birth as Anti Devi and 05-05-1962 respectively in place of Anita Devi and date of birth as 1973 in her Aadhar Card.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding updation of name and date of birth of applicant as Anti Devi and 05-05-1962 respectively in place of Anita Devi and 1973 in her Aadhar Card then they should appear before the court of undersingned on or before 20-06-2026 either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 19-05-2026.

Seal.

Sd/-
(MAST RAM BHARDWAJ)
Tehsildar-cum-*Executive Magistrate*,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

In the Court of Sh. Mast Ram Bhardwaj, Executive Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh

In the matter of :

Prashant Tomar s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Bhaila, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for correction of name of applicant's daughter in her Aadhar Card.

Whereas, Prashant Tomar s/o Sh. Ram Lal, r/o Village Bhaila, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himach al Pradesh has filed an application alongwith copy of his own Aadhar Card and Aadhar Card of her wife Smt. Poonam Devi, birth certificate of her daughter and an affidavit in the court of the undersigned to correct his daughter's name as Vamika Thakur in place of Babay one of Poonam Devi in her Aadhar Card.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of name of applicant's daughter as Vamika Thakur in place of Babay one of Poonam Devi in her Aadhar Card then they should appear before the court of undersigned on or before 20-06-2026 either personally or though their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 20-05-2026.

Seal. Sd/-
(MAST RAM BHARDWAJ)
Tehsildar-cum-*Executive Magistrate*,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, हरोली,
जिला ऊना (हि0प्र0)

दरख्वास्त वमुराद दुरुस्ती राजस्व रिकार्ड महाल भदौड़ी व कांटे की जमाबन्दी 2019–2020 में रिंकी लाल पुत्र प्रकाश चन्द की बजाए मंगत राम पुत्र प्रकाश चन्द दर्ज करने बारे।

बनाम

आम जनता

इश्तहार मुस्त्री मुनादी जेर धारा 23 भू–राजस्व अधिनियम, 1954.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी मंगत राम पुत्र प्रकाश चन्द, वासी भदौड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि उसका नाम महाल भदौड़ी व कांटे की जमाबन्दी साल 2019–2020 में रिंकी लाल पुत्र प्रकाश चन्द गलत चल रहा है, जबकि उसका सही नाम मंगत राम पुत्र प्रकाश चन्द है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई एतराज हो तो वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन इस न्यायालय में दिनांक 05–06–2026 को प्रातः 11.00 बजे हाजिर आए न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निपटारा / फैसला कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 19–05–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग),
हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CORRECTION OF NAME

I, Bimla Kumari w/o Sh. Santosh Kumar, r/o Ward No. 6 Phatta, Village & P.O. Bindraban, Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name has been wrongly mentioned in certain records as Vimla Devi, my correct and actual name is Bimla Kumari. Both names refer to one and the same person. Henceforth, I shall be known and identified only as Bimla Kumari for all purposes.

BIMLA KUMARI
w/o Sh. Santosh Kumar,
r/o Ward No. 6 Phatta,
Village & P.O. Bindraban,
Tehsil Palampur, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vijay Kumari wd/o Sh. Sukh Pal, r/o V.P.O. Guler, Tehsil Haripur, Distt. Kangra (H.P.) declare that the correct name of my handicapped daughter is Sunita Kumari but in her Aadhar Card her name is wrongly entered as Sarita w/o Sukh Pal instead of Sunita Kumari d/o Sukh Pal. Concerned note it.

VIJAY KUMARI
wd/o Sh. Sukh Pal,
r/o V.P.O. Guler,
Tehsil Haripur, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Hemant Bhatia (New Name) s/o Sh. Suresh Bhatia, r/o House No. 8 Ghora Saray, Cart Road, Krishna Nagar, Shimla (H.P.)-171 001 declare that I have changed my name from Hemant (previous name) to Hemant Bhatia (New Name). All concerned please may note.

HEMANT BHATIA
s/o Sh. Suresh Bhatia,
r/o House No. 8, Ghora Saray,
Cart Road, Krishna Nagar,
Shimla (H.P.)-171 001.

CORRECTION OF NAME

I, Verma Shivanshi Pratapsingh d/o Sh. Pratap Singh Verma aged 24 years, r/o Vill. Chadail, P.O. Cheog, Charel Bhaela (204), District Shimla (H.P.)-171 209 declare that my name has been wrongly entered as Shivanshi Verma in my Aadhar Card, whereas my correct name is Verma Shivanshi Pratapsingh which is also entered in my all educational certificates, so my correct name Verma Shivanshi Pratapsingh may be entered in my Aadar Card. All concerned please may note.

VERMA SHIVANSHI PRATAPSINGH
d/o Sh. Pratap Singh Verma,
r/o Vill. Chadail, P.O. Cheog,
Charel Bhaela (204),
District Shimla (H.P.)-171 209.

CHANGE OF NAME

I, Roop Ram aged about 39 years, s/o Sh. Anant Ram, r/o Vill. Bevlydhar, Tehsil Shimla, Dumi (43), Shimla (H.P.)-171 006 declare that my daughter's correct name is Harshita which is also entered in all documents but in Aadhar Card bearing No. 8338 1250 5561 her name is entered Harishta which is wrong. Now I want to correct my daughter's name as Harshita.

ROOP RAM
s/o Sh. Anant Ram,
r/o Vill. Bevlydhar, Tehsil Shimla,
Dumi (43), Shimla (H.P.)-171 006.

CHANGE OF NAME

I, Maya Devi d/o Sh. Bhalkhu Ram, r/o Vill. Jaral, P.O. Chakmoh, Tehsil Dhatwal, Distt. Hamirpur (H.P.) Presently w/o Sh. Shankar Dass r/o V.P.O. Jhanjiani, Tehsil Barsar, Distt,. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Soma Devi to Maya Devi. I shall be Known as Maya Devi for all purposes in future. All concerned please note.

MAYA DEVI
d/o Sh.Bhalkhu Ram,
r/o Vill. Jaral, P.O. Chakmoh,
Tehsil Dhatwal, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Om Parkash s/o Sh. Moti Singh, r/o Vill. Treti, P.O. Choru, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Prakash Chand to Om Parkash. I shall be known as Om Parkash for all purposes in future. All concerned please note.

OM PARKASH
s/o Sh. Moti Singh,
r/o Vill. Treti, P.O. Choru,
Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Nandini d/o Sh. Manohar Lal, r/o Ward No. 4, Jawalamukhi, P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangar (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card No. 9328 6762 0057 is wrongly entered as Raj Nandani. Whereas, my correct name is Nandini. All concerned please note.

NANDINI
d/o Sh. Manohar Lal,
r/o Ward No. 4, Jawalamukhi,
P.O. & Tehsil Jawalamukhi, Distt. Kangar (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kajal Malhan d/o Sh. Raman Kumar, r/o Vill. Sasan, P.O. Jhaniari, Tehsil Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Kajal to Kajal Malhan. I shall be known as Kajal Malhan for all purposes in future. All concerned please note.

KAJAL MALHAN
d/o Sh. Raman Kumar,
r/o Vill. Sasan, P.O. Jhaniari,
Tehsil Hamirpur, Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Sita Kumari w/o Sh. Vinod Kumar, r/o V.P.O. Sarahkar, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that my name is wrongly recorded as Sunita Kumari in my Aadhar Card No. 6769 2315 0505. Whereas, my correct name is Sita Kumari as per my relevant documents. All concerned note.

SITA KUMARI
w/o Sh. Vinod Kumar,
r/o V.P.O. Sarahkar,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Kashma w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village Bharauri, Tehsil Dharampur, Distt. Mandi (H.P.)-175 040 declare that my name Kashma and Kashma Sharma refer to one and the same person. All concerned may kindly take note.

KASHMA
w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Village Bharauri, Tehsil Dharampur,
Distt. Mandi (H.P.)-175 040.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatra.hp.gov.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।